प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि :– 12 माह

उत्तराखण्ड पुलिस

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्रनगर

mifujh{kd ukxfjd iqfyl gsrq fu;ekoyh ,oa ikB~;Øe

lkekU; funsZ'k%&

उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण केन्द्र में आगमन के पूर्व ही एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी जिसमें एक पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो प्रशिक्षुओं को निर्धारित आवास भोजनालय, कैन्टीन स्नानागार, शौचाल, मनोरंजनगृह, पुस्तकालय एवम् वाचनालय, परेड ग्राउण्ड अधिकारियों के कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र की जानकारी देगा।

1. **आगमन के पश्चात प्रशिक्षु उपनिरीक्षक के नॉमिनल रोल फार्म भरवायें जायेगें जिस पर एक नवीनतम फोटो भी लगवाया जायेगा।**
2. समस्त प्रशिक्षुओं के आगमन के प्रथम सप्ताह में जीरों परेड करायी जायेगी जिसमें उन्हें जनपद के मुख्यालय में नियुक्त समस्त पुलिस अधिकारियों के कार्यालय एवम् आवासों के बारे मे जानकारी करायी जायेगी।
3. प्रशिक्षण के प्रारम्भ में **जीरो वीक''** आयोजित किया जायेगा। इस सत्र में प्रशिक्षुओं के साथ Ice Breaking Execise का आयोजन किया जायेगा । **'' जीरो वीक ''** की अवधि मे प्रशिक्षुओं को गहन प्रशिक्षण न देकर पुलिस विभाग के परिवेश से परिचित कराया जायेगा जिसमें मुख्य रूप से वर्दी का रख–रखाव तथा उसका पहनना , वर्दी तथा सादे कपड़ों मे अधिकारियों के पद चिन्हों का ज्ञान , परेड गग्राउण्ड , गणना स्थल भोजनालय एवम् बैरक आवास के अनुशासन का ज्ञान कराया जायेगा।
4. **नापतौल/चिकित्सा प्रमाण पत्र –** प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की नापतौल किसी सक्षम अधिकारी (निरीक्षक या उससे उच्च पद) द्वारा सम्पादित की जायेगी जिसका उल्लेख नापतौल रजिस्टर मे किया जायेगा।
5. **आवास –** उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें पर्याप्त मात्रा मे रोशनी हेतु बल्ब टयूब लाइट , पंखें तथा पलंग /तख्त की व्यवस्था की जायेगी । किसी प्रशिक्षु को निर्धारित छात्रावास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नही दी जायेगी ।
6. **भोजन व्यवस्था** – समस्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर निर्धारित भोजनालय मे ही भोजन करना होगा । किसी भी दशा में अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नही दी जायेगी । भोजन व्यवस्था के लिए आगमन के समय ही मेस एडवांस के रूप में 3000/–धनराशि प्रशिक्षुओं से जमा करायी जायेगी । प्राप्त धनराशि की रसीद प्रभारी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रदान की जायेगी तथा दीक्षान्त परेड के उपरान्त देय धनराशि की कटौती कर शेष धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जायेगी।

भोजन करते समय भोजनालय मे लुंगी , गमछा , आदि नही पहना जायेगा । निर्धारित की गयी पोशाक की पहनी जायेगी। भोजन , भोजनालय मे निर्धारित स्थान पर किया जायेगा। भोजनालय से भोजन ले जाकर छात्रावास मे या अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नही दी जायेगी।

संस्था प्रमुख संस्था कटिंग के रूप में मैस रिजर्व, हॉस्टल, मेन्टीनेस फण्ड, नाई , धोबी, एवं सफाई कर्मी आदि की स्थानीय आवश्यकताओं उपलब्धता एवं दरों के आधार पर उचित कटौती करेगें । परन्तु यह कटौती किसी भी दशा मे **500/–** रू0 प्रतिमाह से अधिक नही होना चाहिए। मैस प्रबन्धक एवं संचालन का कार्य प्रशिक्षुओं मे से ही चयनित उप निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

7. **दिवसाधिकारी** – प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रतिदिन एक बाह्य विषय का प्रशिक्षक दिवसाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जिसका कर्तव्य होगा कि वह प्रशिक्षुओं से भोजन के समय भोजन व्यवस्था मे दिये गये निर्देशों का पालन कराये तथा विद्यालय के समय प्रशिक्षुओं को एकत्रित कर गणना उपरान्त विद्यालय में पहुचायें।
8. **प्रशिक्षण केन्द्र** – उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अंकित बिन्दुओं के अनुसार अन्तःकक्ष एंव वाह्य कक्ष विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक सैक्शन हेतु एक क्लास रूप निर्धारित किया जायेगा।
9. **पुस्कालय एवं वाचनालय** – प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था पर एक पुस्कालय की व्यवस्था की जायेगी जिसमे पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या मे सामाचार पत्र , पत्रिकाओं की व्यवस्था होगी।

   मनोरंजन – प्रशिक्षुओं के मनोरंजन के लिए मनोरंजन गृह में टेलीविजन इत्यादि की व्यवस्था होगी। सप्ताह मे एक दिन प्रोजेक्टर पर ट्रेनिंग सम्बन्धित पिक्चर दिखाई जायेगी।

   सूचना पट्ट – प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओं के छात्रावास के निकट तथा किसी एक अन्य उपयुक्त स्थान पर एक सूचना पटट की व्यवस्था की जायेगी जिसमें प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित सूचनायें तथा आवश्यक आदेश–निर्देश चस्पा किये जायेगें।
10. **सुझाव एंव शिकायती पत्र पेटिका** – प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रावास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी जिसमें प्राप्त सुझााव एंव शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वार किया जायेगा।
11. **मासिक सम्मेलन** – प्रत्येक माह संस्था प्रभारी द्वारा मासिक सम्मेलन का आयोजन जिसमें प्रशिक्षुओं के कल्याण सम्बन्धी वार्ता होगी एवं प्रशिक्षुओं से इनके सम्बन्ध मे सुझाव/शिकायतों की जानकारी प्राप्त की जायेगी
12. **परिधान** – प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार परेड एवं प्रशिक्षण केन्द्र मे निर्धारित वर्दी पहननी होगी।

13. **खेलकूद** – प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी खेलकूद के लिए बॉलीवाल , फूटबॉल तथा तैराकी आदि हेतु व्यवस्था करेगें। उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं को मोटर साईकिल प्रशिक्षण हेतु संस्था द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

14. **अवकाश –**

(अ) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि मे किसी भी प्रशिक्षणार्थी को सामान्य रूप से कोई आकस्मिक अवकाश देय नही दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रभारी द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को अधिकतम 14 आकस्मिक अवकाश देय होगें। संस्था प्रभारी अपने विवेक से इससे अधिक अवकाश दिये जाने के लिए अधिकृत होगें।

(स) यदि कोई उपनिरीक्षक प्रशिक्षण काल की अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा एंव झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे प्रशिक्षु के विरूद्व नियमानुसर विभागीय कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

(द) पूरे प्रशिक्षण काल में 30 दिवस से अधिक किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षार्थी को अन्तिम परीक्षा मे सम्मिलित नही किया जायेगा। ऐसे प्रशिक्षु की परीक्षा अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के साथ तीन माह के अतिरिक्त प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित परीक्षा के समय ली जायेगी। किसी भी कारण से यदि किसी प्रशिक्षु की प्रशिक्षण से अनुपस्थित अवधि 60 दिन या उससे अधिक होती है तो प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उस प्रशिक्षु को वापस कर देगें जिसे अगले प्रशिक्षण सत्र मे शामिल किया जायेगा।

(य) अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षु को सम्बन्धित विषयों के 3 माह के पूरक प्रशिक्षण के उपरान्त उन्ही विषय /विषयों की पूरक परीक्षा मे सम्मिलित किया जायेगा। यदि कोई उपनिरीक्षक पूरक परीक्षा मे भी अनुत्तीर्ण होता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

15. **श्रमदान , साज सज्जा एंव वृक्षारोपण –** प्रशिक्षुओ से श्रमदान एंव वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं रविवार को पूर्वान्ह मे ही कराया जायेगा जिसमें उनसे परेड ग्राउण्ड , बैरक एरिया , क्वार्टर गार्द , गार्डन आदि की सफाई व रख–रखाव का कार्य कराया जा सकेगा। कार्य दिवसों मे बाह्य एवं अन्तः विषयों के कालाशों मे कोई श्रमदान एवं वृक्षारोपण किसी भी दशा मे नही कराया जायेगा। किसी भी अधिकारी के आवासीय परिसर इत्यादि मे श्रमदान नही कराया जायेगा।

16. प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक आन्तरिक एवं बाह्य विषयों के प्राप्ताकों मे प्रथम स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं समस्त आंतरिक/बाह्य विषयों के प्राप्तांकों के योग मे अलग–अलग प्रथम आने वाले प्रशिक्षुओं एवं सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु को पुरूस्कृत किया जायेगा। सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु को पुरूस्कृत किया जायेगा। सर्वाग सर्वोत्तम प्रशिक्षु के चयन के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

प्रभारी द्वारा प्रदत्त साक्षत्कार के अंकों को भी जोड़ा जायेगा। प्रशिक्षण मे विशेष अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट उपनिरीक्षक अध्यापक , आई0टी0आई/पी0टी0आई0 को भी संस्था के प्रभारी द्वारा पुरूस्कृत किया जायेगा।

17. **पर्यवेक्षण –** प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण निर्धारण पाठ्यक्रम के अनुसार संस्था प्रभारी के निकट पर्यवेक्षण मे प्रदान किया जायेगा। संस्था प्रमुख द्वारा चयनित एक राजपत्रित अधिकारी प्रशिक्षण का प्रभारी होगा आन्तरिकः/बाह्य विषयों के प्रशिक्षण के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराये हेतु सैन्य सहायक उत्तरदायी होगें।

18. **आन्तरिक विषय के प्रशिक्षकों के लिए निर्देशः–**

1. संस्था प्रमुख प्रत्येक 15 दिवस का टाइम टेबिल (समय सारणी) तैयार कराकर जारी करायेगें।
2. अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय पढ़े और समझें।
3. सभी विषयों को अलग–अलग कालांश मे विभाजित करें।
4. प्रत्येक कालांश के लिए उच्च कोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले से तैयार कर लें।
5. प्रशिक्षक अपने व्यवहारिक व उपयोगी अनुभव का समावेश (मिश्रण) भी करें।
6. व्याख्यांन की योजना व प्रस्तुति का तरीका तैयार करें।
7. पाठ के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की व्याख्या करें।
8. विषय वस्तु स्लाइड व पिक्चर पर तैयार करें एवं पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें।
9. प्रशिक्षणार्थी को व्यवहारिक ज्ञान, सुरक्षा ड्यूटी , घटनास्थल निरीक्षण , विवेचना आदि कराने से पूर्व मौलिक सिद्वान्त समझायें।
10. ऐसे प्रश्न तैयार किये जायें जिसके उत्तर मे पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों।
11. प्रत्येक विषय की पाठ्य सामग्री हेतु प्रशिक्षणार्थी का मार्गदर्शन करें।
12. सही वर्दी धारण करें जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख–रखाव भी साफ –सुथरा हो।
13. प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात संदेहों को दूर करें।
14. कमजोर प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दे तथा तेजस्वी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ायें।

19. **बाह्य विषयों के प्रशिक्षकों के लिए निर्देशः–**

1. सही वर्दी धारण करें जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो सकें एवं उसका रख–रखाव साफ–सुथरा हो।
2. पाठ्यक्रम को पढ़े तथा उसे निर्धारित अवधि मे मोटे तौर पर विभाजित करें।
3. पाठ को सुविधाजनक भागों (कालांश) में विभाजित करें।
4. विषय के अनुसार हिन्दी में व्याख्या करें।
5. अपनी व्यक्तिगत Body Movement द्वारा नमूना दें।
6. विभिन्न हरकतों को एक–एक करकें प्रत्येंक प्रशिक्षणार्थी से कराया जाय ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सकें।

7. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की त्रृटियों को सही करें। अनावश्यक टीका–टिप्पणी न करें जब तक कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी उससे भिज्ञ न हो जाये कि सही क्या है तब तक अतिरिक्त समय मे विशेष कालांश में प्रशिक्षित करें।
8. किसी प्रशिक्षणार्थी को खराब हरकत करने की अनुमति कभी न दें।
9. वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों मे दें।
10. शरीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें जो उसके पूरे जीवन के लिए लाभकारी हो।
11. खेल , तैराकी , एथलेटिक व कठिन बाधाओं को पार करने में रूचि उत्पन्न करायें।
12. प्रशिक्षणार्थियों की रूचि के अनुसार जूडो/कुश्ती /बॉक्सिंग/कराटे आदि विभाजित कर टोलियों मे आयोजित करायें।
13. बाह्य विषयों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु सैन्य सहायक उत्तरदायी होगें।

20. नियमावली मे संशोधन – उपरोक्त नियमों मे किसी संशोधन की आवश्यकता समझी जायेगी तो पुलिस महानिदेशक , प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय , उत्तराखण्ड देहरादून उन बिन्दुओं को पाठ्यक्रम समिति को संदर्भित करेगें तथा पाठ्यक्रम समिति की अनुशंसा प्राप्त करेंगें। अनुशंसा पर विचारपरांत निर्णय लेकर नियम संशोधन हेतु पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगें।

परीक्षा संक्षेप

1– संस्था प्रभारी पर छः माह के प्रशिक्षण के पश्चात अन्तः विषयों एवं वाह्य विषयों की एक 400 अंको की मध्यावधि परीक्षा आयोजित की जायेगी। अतः संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस अवधि में न्यूनतम आधा पाठ्यक्रम अवश्य पढा लें। इस परीक्षा में 300 अंक की अन्तः कक्ष विषयों की एवं 100 अंको की वाह्य विषयों की परीक्षा होगी। अन्तः कक्ष विषयों में 150 अंक एवं 150 प्रश्नों के दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होंगें। प्रत्येक प्रश्नपत्र में छः माह की अवधि तक पढाये गये सम्पूर्ण विषयों के आधे–आधे विषयों का समानुपातिक मिश्रण होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंको की श्रेणी के आधार पर अनुपातिक दर से साक्षात्कार के अंको में अधिकतम 35 अंक दिये जायेंगें।

2– अन्तः कक्ष विषयों की अन्तिम परीक्षा विषय वस्तु की भॉति होगी। जिससे प्रशिक्षु की कार्यशैली एवं कुशलता का सही मूल्यांकन किया जा सके। प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मूल्यांकन प्रशिक्षण केन्द्रो द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा के समय ही कर लिया जायेगा। इस हेतु अलग से कोई परीक्षा नही होगी।

3– प्रशिक्षण अवधि के 12 माह में अन्तिम परीक्षा आयोजित की जायेगी। जिसका संक्षेप में निम्नानुसार निर्धारण किया गया है।

अन्तः कालीन परीक्षायें	:– 1500 अंक
वाह्यकक्षीय प्रशिक्षण	:– 700 अंक
प्रधानाचार्य का आंकलन	:– 100 अंक
योग	:– 2300 अंक

4– उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः कक्ष एवं वाह्य कक्ष विषयों के प्रत्येक पेपर में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगें।

अ– परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षु उपनिरीक्षक का पूरक प्रशिक्षण एवं परीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप कराया जायेगा। प्रशिक्षण/परीक्षा उन्ही विषयों की कराई जायेगी जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहें हो।

ब– परीक्षा में नकल करते हुये पकडे जाने पर प्रशिक्षु की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त मानी जायेगी और नागरिक पुलिस सेवा नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही के उपरांत यदि उसे सेवा में रखा जाना है तो उसका पूरक प्रशिक्षण कम से कम 03 माह का कराया जायेगा तथा प्रशिक्षण के उपरांत सभी विषयों की परीक्षा पुनः संपादित कराई जायेगी।

उप निरीक्षक ना0पु0 सीधी भर्ती आधारभूत प्रशिक्षण
अन्तः कक्ष/बाह्य कक्ष का पाठ्यक्रम का विवरण

क्र0सं0	*विवरण*	*अवधि*
1	प्रशिक्षण अवधि	365 दिवस
2	रविवार एवं अवकाशों की संख्या	77
3	जीरो वीक की अवधि	05 दिवस
4	मध्यवधि/अन्तिम परीक्षा दीक्षान्त परेड का अभ्यास के लिये निर्धारित अवधि	30 दिवस
5	स्टडी टूर	06 दिवस
6	मध्यावधिक अवकाश	06 दिवस
7	प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल दिन	241 दिवस
8	फायरिगं/जंगल ट्रेनिग दिवस	06 दिवस
9	बाह्य कक्ष प्रशिक्षण हेतु वास्तविक दिवस	235 दिवस
10	बाह्य कक्ष हेतु प्रतिदिन कालांश	05 दिवस
11	अन्तःकक्ष हेतु प्रतिदिन कालांश	06 कालांश
12	एक कालांश की अवधि	40 मिनट
13	बाह्य कक्ष हेतु कुल कालांशो की संख्या	**235 × 5 = 1175 कालांश**
14	अन्तकक्ष हेतु कुल कालांशो की संख्या	**235 × 6 = 1410 कालांश**
15	प्रशिक्षण हेतु योग कालांश	**2585 कालांश**

सम्पूर्ण कार्यक्रम–एक दृश्यावलोकन

क्र0सं0	विषय	कालांश	अंक
1	अन्तः कक्षीय	1310	1500
2	संवेदीकरण मौडयूल्स	100	–
3	वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण	975	700
4	कैपसूल कोर्स	200 बाह्यकक्ष प्रशि0 में	–
5	प्रधानाचार्य का आंकलन	–	100
	कुल योग	2585	2300

प्रधानाचार्य/साक्षात्कार हेतु 100 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार है।

(अ) 50 अंक प्रशिक्षुओं की अन्तः कक्ष एवं वाह्य कक्ष विषय प्रशिक्षकीय/खेल–कूद/सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित है :–

क– प्रशिक्षण की मध्यावधि परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर : – 35 अंक 1. विशेष श्रेणी 75 प्रतिशत से 84.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर – 35 अंक 2. प्रथम श्रेणी 60 प्रतिशत से 74.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर – 30 अंक 3. द्वितीय श्रेणी 50 प्रतिशत से 59.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर – 20 अंक 4. तृतीय श्रेणी 40 प्रतिशत से 49.99 अंक प्राप्त करने पर :– 10 अंक 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को कोई अंक नही दिया जायेगा।	**ख – प्रशिक्षण के दौरान खेलो के लिये अधिकतम अंक :– 05 अंक** **ग– विशेष गतिविधियॉ के लिये :– 05 अंक** 1. कक्षा मॉनीटर – 02 अंक 2. टोली कमांडर – 03 अंक 3. मैस मैनेजर – 05 अंक **घ– सांस्कृतिक/प्रस्तुतिकरण गतिविधियॉ :– 05 अंक** **नोट** :– कक्षा मॉनीटर, टोली कमांडर का चयन प्रशिक्षण के दौरान अभिरूचि के आधार पर किया जायेगा। यदि प्रशिक्षु द्वारा एक से अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया गया है तो भी उसे अधिकतम 05 अंक ही दिये जायेंगें।

(ब) प्रधानाचार्य के विवेकाधीन शेष 50 अंक प्रशिक्षार्थी के अन्तः कक्ष एवं वाह्य विषयों के ज्ञान के आंकलन प्रशिक्षण में ली गई रूचि, अनुशासन, प्रशिक्षण के मध्य प्राप्त पुरूस्कार तथा कर्तव्यनिष्ठा इत्यादि को ध्यान में रखकर साक्षात्कार के उपरान्त दिये जायेंगें।

(स) निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंको में से अधिकतम 25 ऋणात्मक अंक किये जायेंगें।

1. विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश , सिक, रेस्ट, अस्तपताल दाखिल 1/2 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम :– 10 अंक
2. गम्भीर अनुशासनहीनता :– 07 अंक
3. अवज्ञा :– 05 अंक
4. आदेश कक्ष (ओ0आर0) में दण्ड :– 02 अंक
5. डिफाल्टर/चेतावनी :– 01 अंक

उप निरीक्षक ना0पु0 सीधी भर्ती आधारभूत प्रशिक्षण
अन्तः कक्ष विषयवार, कालांश एवं अंकों का विवरण

पाठ्यक्रम			
क्र0 सं0	*विवरण*	*कालांश*	*अंक*
1	ए–आधुनिक भारत में पुलिस	25	25
	बी–पुलिस संगठन एवं प्रशासन	50	75
2	भारतीय दण्ड संहिता	100	100
3	दण्ड प्रक्रिया संहिता	100	100
4	ए–भारतीय साक्ष्य अधिनियम	50	60
	बी–संविधान एवं मानवाधिकार	50	40
5	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	100	150
6	ए–विधि विज्ञान (फारेन्सिक साइंस)	80	100
	बी–विधि चिकित्सा शास्त्र (फारेन्सिक मेडिसन)	50	50
7	विवेचना	138	150
8	पुलिस थाना प्रबन्धन एवं अपराध नियन्त्रण	100	100
9	लोक शान्ति व्यवस्था का रख–रखाव	80	100
10	अपराध शास्त्र	50	50
11	विवेचना–प्रयोगात्मक कार्य	100	100
12	ए–मानव व्यवहार	37	45
	ब–प्रबन्धन	40	55
13	कम्प्यूटर प्रशिक्षण–प्रयोग एवं उपयोगिता	80	100
14	पुलिस रेग्युलेशन/नियम/मैनुअल	80	100
योग		**1310**	**1500**

संवेदीकरण मोडयूल (प्रशिक्षण)

पाठ्यक्रम		
क्र0 सं0	*विवरण*	*कालांश*
1	लिंग संवेदीकरण	05
2	जाति एवं साम्प्रदायिक विवादों में पुलिस की भूमिका	05
3	स्वास्थ्य एवं एडस	05
4	अपराध पीड़ित के साथ व्यवहार	05
5	जनता के साथ–व्यवहार –क्या करें और क्या न करें।	05
6	गैर सरकारी (समाज सेवी) संगठनों से समन्वय	05
7	जेल का भ्रमण	08
8	न्यायालय का भ्रमण	08
9	जनपदीय पुलिस कार्यालय का भ्रमण	08
10	पुलिस लाइन्स का भ्रमण	08
11	पुलिस थाने का भ्रमण	08
12	जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी कार्यालय का भ्रमण	05
13	वृद्व आश्रम का भ्रमण	05
14	महिला आश्रम का भ्रमण	05
15	बाल गृह का भ्रमण	05
16	अभियोजन कार्यालय का भ्रमण	05
17	चिकित्सालय/शव विच्छेदन गृह का भ्रमण	05
योग		**100**

विभिन्न कैपसूल कोर्सेज

पाठ्यक्रम		
क्र0 सं0	*विवरण*	*कालांश*
1	नैतिक पुलिसिंग	10
2	सामुदायिक पुलिसिंग	10
3	अभिसूचना एकत्रीकरण– सर्विलेन्स आदि पर व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित	05
4	पूछताछ की विधा	05
5	सुरक्षा–मेला, त्यौहार, जनरैली, वीवीआईपी भ्रमण आदि की व्यवस्था	05
6	न्यायालय की कार्यप्रणाली	05
7	थाने का निरीक्षण	05
8	आरोपी के अधिकार	05
9	भूराजस्व अभिलेखों एवं नियमों से परिचय	10
10	थाने पर अभिलेखीकरण	05
11	संवाद कौशल	10
12	मीडिया प्रबंधन	05
13	इलैक्ट्रोनिक सर्विलांस	10
14	सी0सी0टी0एन0एस0	35
15	नेगोसिएशन स्किल्स	10
16	साइबर क्राइम	10
17	तनाव प्रबन्धन	10
18	स्वप्रबन्धन/स्वच्छता	15
19	आत्मविश्वास	05
20	व्यक्तित्व विकास, दृष्टिकोण में परिवर्तन	25
	योग	**200**

01 आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन एवं प्रशासन

ए– आधुनिकभारत में पुलिस

कालांश :– 25 **पूर्णांकः– 25 अंक**

1– एक कल्याणकारी राज्य में आदर्श पुलिस कार्यशैली।
2– वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ में पुलिस की परिवर्तनशील भूमिका एंव पुलिस कार्य में व्यवहारगत परिवर्तनों की आवश्यकता–बल उन्मुख्ता से सेवा उन्मुखता में रूपान्तरण।
3– पुलिस कार्यो में व्यवसायिकता।
4– पुलिस के लिये आचरण संहिता।
5– राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं भूगोल
क– आर्थिक
- ✓ प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं पुलिस बजट

ख– भारत का भूगोल (स्वाध्याय हेतु)
- ✓ भारत के राज्य एवं संध शासित प्रदेश व उनकी राजधानियॉ
- ✓ भारत के मानचित्र की व्यवहारिक जानकारी तथा पडोसी देशो की सीमायें।
- ✓ प्राकृतिक भाग, मुख्य औघोगिक नगर, रेलवे लाइन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, मुख्य नदियॉ

ग– पर्यावरण :–
- ✓ पर्यावरण संरक्षण
- ✓ ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान।

6– नागरिक प्रशासन में पुलिस की भूमिका एवं अन्य विभागो–जैसे चिकित्सा विभाग, जेल विभा, शिक्षा विभाग, तहसील, ब्लॉक डेवलेपमेन्ट अधिकारी, टेलीफोन, बिजली विभाग, नगर पालिका आदि के साथ सम्बन्ध एवं उपयोगिता।
7–सामान्य जानकारी
- ✓ पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर
- ✓ अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट
- ✓ उपलब्धियॉ तथा पुरूस्कार
- ✓ विभिन्न खेल प्रतियोगितायें
- ✓ विश्व प्रसिद्व व्यक्तित्व
- ✓ विख्यात पुस्तकें।
- ✓ नवीन राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय घटनाक्रम

8– कानून का शासन :–
- ✓ आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस की भूमिका।
- ✓ राष्ट्रीय झण्डा प्रतीक एवं राष्ट्रीयमान का महत्व।
- ✓ विघ्वंसकारी ताकतों से राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को चुनौतियॉ–साम्प्रदायिता, रूढिवादिता, अतिवाद व आतंकवाद तथा चुनौतियों के मुकावले में पुलिस की भूमिका।
- ✓ सामाजिक–आर्थिक समस्याअें और पुलिस की भूमिका
- ✓ राजनैतिक दल–क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय
- ✓ कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा/पुलिस जनता साझेदारी।

9– पुलिस सुधार
इस पेपर के अर्न्तगत पढाये जाने वाले विषयों का फोकस राज्य केन्द्रित होना चाहिये। राज्य के विभिन्न भागों से आने वाले प्रशिक्षु राज्य में पुलिस के सम्मुख प्रचलित सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं कानून व्यवस्था के मुद्दों को समझने में समर्थ होने चाहिये। उद्देश्य यह है कि पुलिस कर्म के सन्दर्भ अधिकारीगण को उनकी आदर्श भूमिका समझायी जा सके।

बी– पुलिस संगठन एवं प्रशासन

कालांश :– 35 **पूर्णांकः– 50 अंक**

1– भारत में पुलिस का उद्भव विकास एवं इतिहास।

2– केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं संस्थान।

1. आई0बी0
2. सीबीआई
3. बी0पी0आर एण्ड डी
4. सी0आर0पी0एफ0
5. बी0एस0एफ0
6. आर0पी0एफ0
7. सी0आई0एस0एफ0
8. एन0सी0आर0बी0
9. एन0आई0ए0
10. एन0सी0आर0बी0
11. एन0आई0ए0
12. एस0एस0बी0
13. रॉ
14. आर0पी0एस0एफ0
15. एस0एस0बी0
16. एन0एस0जी0
17. आई0एस0ए0
18. एस0पी0जी0
19. आई0टी0बी0पी0
20. सेन्ट्रल फोरेन्जिक इन्सस्टीट्यूड –सी0डी0टी0एस0 हैदराबाद, कोलकाता, चण्डीगढ।
21. संदिग्ध अभिलेखो के सरकारी परीक्षण के कार्यालय –शिमला, कोलकता, हैदराबाद।
22. सेन्ट्रल फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो, कोलकाता।
23. सेन्ट्रल फोरोसिंक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद।

3– **इंडियन आर्म्ड फोर्सेज** :– टैरीटोयिल आर्मी एवं एनसीसी रहित।

4– **राज्य पुलिस संगठन** :– (राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, कमिशनरी व्यवस्था, जनपद स्तर, उप सम्भाग स्तर/क्षेत्र स्तर, पुलिस थाना स्तर) अन्य ईकाइयॉ जैसे– अभियोजन शाखा, एससीआरबी/फिंगर प्रिन्टस ब्यूरो, सीआईडी, सीआईडी क्राइम ब्यूरों, महिला पुलिस, रेलवे पुलिस, पुलिस दूरसंचार, यातायात पुलिस एवं राजमार्ग यातायात पुलिस, स्टेट फोरेसिंक साइंस लाइब्रेरी, सशस्त्र पुलिस, होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा, विशेष पुलिस अधिकारी, भारतीय रिजर्व बटालियन (आई0बी0), राज्य पुलिस अकादमी, राज्य कमांडो इकाई, पुलिस मुख्यालय, राज्य सर्तकता ब्यूरों, अग्निशमन सेवाायें, राज्य अपराध शाखा, गृह विभाग।

5– अभियोजन शाखा एवं न्यायालय कर्तव्य।

6– जनपद पुलिस की विभिन्न शाखाओं के कार्य :– जनपद अभिसूचना शाखा, जनपद प्रवर्तन शाखा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन्स, जनपद यातायात शाखा, दूरसंचार इकाई आदि।

प्रशासन

कालांश :– 15 **पूर्णांकः– 25 अंक**

1– केन्द्रीय सरकार का प्रशासनिक ढांचा।
2– राज्य सरकार का प्रशासनिक ढांचा।
3– स्थानीय स्व–शासन (नगरीय एवं ग्रामीण)
4– जनपद एवं उप सम्भागीय प्रशासनिक ढॉचा। राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस के सम्बन्ध, न्यायपालिका, अभियोजन शाखा एवं स्वास्थ्य अधिकारीगण।
5– पुलिस, आर्मी, नेवी एवं वायु सेना के पद एवं पद चिन्ह।
6– प्रतिष्ठित व्यक्तियों, पुलिस, नागरिक, मिलिट्री एवं न्यायिक अधिकारियों के वाहनों के झण्डे/तारे/प्रतीक चिन्ह
7– गैर सरकारी संगठनों की भूमिका।
8– पुलिस कर्म में समकालीन मुद्दे :–

- ✓ राष्ट्रीय अखण्डता को आन्तरिक चुनौतयॉ।
- ✓ जातिवाद साम्प्रदायिकतावाद एवं रूढिवाद।
- ✓ आतंकवाद, युद्वप्रियता एवं वामपंथी उग्रवाद।
- ✓ महिलाओं , बालकों एवं समाज के कमजोर वर्गो के विरूद्व अपराध–पुलिस की भूमिका।
- ✓ लिंग संवेदीकरण।
- ✓ महिला पुलिस एवं पुलिस कार्य में उनकी भूमिका।
- ✓ कार्य स्थलों पर लैगिग उत्पीड़न।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी को सरकार के प्रशासनिक ढॉचे एवं पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिये।

02–भारतीय दण्ड संहिता

कालांश :– 100

अंक 100

1. प्रस्तावना एवं अपराध की अवधारणा धारा 1 से 5
2. सामान्य व्याख्यायें धारा 6,7, 10, 14, 21 से 30, 34 से 39, 41 से 44, 52, 52ए
3. दण्ड धारा 75
4. साधारण अपवाद धारा 76 से 106
5. दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षडयन्त्र धारा 107 से 117, 120ए, 120बी
6. राज्य के विरूद्व अपराध धारा 121 से 124, 124ए
7. आर्मी, नेवी एवं एयरफोर्स से सम्बन्धित अपराध धारा 136, 140
8. लोक प्रशान्ति के विरूद्व अपराध धारा 144 से 149, 153ए, 153एए, 153बी, 160
9. धर्म से सम्बन्धित अपराध धारा 295, 295ए, 296, 297, 298
10. लोक सेवकों से सम्बन्धित अपराध धारा 170 से 174, 180 से 187, 188
11. निर्वाचन से सम्बन्धित अपराध धारा 71ए, बी,सी, डी,ई,
12. झूठा साक्ष्य, व्यक्तियों एवं न्याय के विरूद्व अपराध धारा 191 से 193, 196, 201, 211, 212, 216, 216ए, 223 से 225, 227, 228ए, 229
13. सिक्कों एवं सरकारी स्टेम्प से सम्बन्धित अपराध धारा 230, 235, 240 एवं 241
14. लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 268 से 270, 272, 277, 278, 279, 283, 285, 289, 292, 294 से 296
15. मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 299 से 304, 304ए–बी, 306, 307, 308, 309, 313, 315, 317, 318, 319 से 326, 328, 330 से 333, 336 से 338, 399 से 342, 353, 354, 356, 359 से 364, 364ए, 365, 366, 375, 376ए,बी,सी,डी,ई।
16. सम्पत्ति के विरूद्व अपराध सम्पत्ति के न्याय भंग से सम्बन्धित अपराध छल रिष्टि से संबंधित अपराध धारा 378 से 384, 385, 387, 390, 392 से 397, 399, 401, 402, 406 से 409, 410, 412, 415, 419, 420, 425, 429, 430, 435, 436, 441 से 460
17. अभिलेखों सम्पत्ति चिन्हो से सम्बन्धित अपराध एवं मुद्रा का कूटकरण धारा 463 से 465, 470, 471, 489 ए,बी,सी,डी,ई।
18. विवाह से सम्बन्धित अपराध धारा 494, 495, 497, 498, 498ए
19. आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं अपराध कारित करने के प्रयास धारा 499, 503, 506, 511

नोट :–

- यह धारायें स्वाध्याय के लिये है। प्रश्नपत्रों में इन धाराओं के लिये पॉच प्रतिशत से अधिक अंक निर्धारित नही किये जायेंगें।
- परीक्षा पुस्तक सहित अथवा रहित अथवा आंशिक रूप से पुस्तक सहित अथवा रहित हो सकती है। चयन का कार्य राज्यों पर छोडा गया है।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी शिकायत कर्ता के बयान के आधार पर कानून की सही धारायें लगाने में समर्थ होना चाहिये। पढाते समय अधिक उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

03– दण्ड प्रक्रिया संहिता

कालांश :– 100

अंक 100

1. प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1,2ए,बी,सी,डी,जी,एच,आई, के,एल,ओ,आर,एस,डब्लु,एक्स, 3, 4, 5
2. आपराधिक न्यायालय एवं अभियोजन इकाई धारा 6 से 17, 24 से 26
3. न्यायालय की शक्ति धारा 29, 30, 32, 34
4. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियॉ धारा 36 से 40
5. व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चिकित्सकीय परीक्षण आदि।
6. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु एवं अन्य मामलों में गिरफ्तारी से सम्बन्धित निर्गत निर्देश 41 से 60
7. उपस्थित होने के लिये विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 61 से 90
8. वस्तुयें प्रस्तुत करने के लिये विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 93 से 95, 97, 100, 102
9. व्यक्तिगत व्यवस्था, एवं सम्पत्ति की कुर्की व समापहरण के लिये प्रक्रिया धारा 105
10. परिशान्ति एवं सदाचार बनाये रखने के लिये प्रतिभूति धारा 106 से 122
11. लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना न्यूसेन्स हटाना धारा 129 से 132, 144, 145, 133
12. पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्यवाही धारा 149 से 153
13. पुलिस के लिये सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियॉ धारा 154 से 176
14. आपराधिक कार्यवाहियॉ शुरू करने के लिये आवश्यक शर्ते धारा 190, 191, 195 से 199
15. मजिस्ट्रेट से परिवाद धारा 200 से 202
16. मजिस्ट्रेट के सम्मुख कार्यवाही का प्रारम्भ धारा 207, 208
17. प्रथम आरोप धारा 218
18. सेशन कोर्ट के सम्मुख विचारण धारा 228(2), 235(2)
19. मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण धारा 238, 240, 243, 273
20. प्ली बार्गेनेनिंग धारा 235
21. जांचो व विचारण से सम्बन्धित सामान्य उपबन्ध धारा 303 से 306, 309, 313 से 315, 317
22. निर्णय धारा 351, 360, 363
23. टपीलें धारा 379, 380
24. जमानत एवं बन्धपत्र से सम्बन्धित उपबन्ध धारा 436 से 439
25. सम्पत्ति का निस्तारण धारा 456 से 459
26. विविध धारा 468, 479, परिशिष्ट 1 व 2

केस लॉ

1. **आन्ध्र प्रदेश बनाम बीनू गोपाल (क्रि0लॉ0ज0 1964 पृष्ठ 16)**
   पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बयान देने हेतु उत्प्रेरित करने हेतु मारने पीटने या निरूद्व करने के लिये प्राधिकृत नही है।
2. **नंदिनी सम्पति बनाम पी0एल0दानी राज्य 1976 एससीसी पृष्ठ 424 विवेचक के कर्तव्य।**
   विवेचनाधिकारी किसी अभियुक्त /संदिग्ध पर शारीरिक /मानसिक या अन्य दबाव नही डालेगा एवं हिरासत के दौरान अभियुक्त विधिक सहायता हेतु विधि परामर्शी को बुला सकता है।
3. **भगवंत सिंह बनाम पुलिस कमिश्नर 1985 एसीसी 246 (उच्चतम न्यायालय) एसीसी 2011 पृष्ठ 719 उच्च्तम न्यायालय अन्तिम रिपोर्ट**

अन्तिम रिपोर्ट लगाये जाने के उपरान्त उसे न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्टकर्ता का पक्ष सुने, स्वीकृत नही कया जाना चाहिये।

4. **जसबन्त व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य ए0सी0सी0 1994 (31) पृष्ठ 425**

मुल्जिम पक्ष द्वारा जमानत के समय वादी पक्ष के गवाहो के शपथ पत्र मान्य नही है।

5. **रधुवीर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (ए0सी0सी0 1995 पृष्ठ 216 उच्च न्यायालय इलाहाबाद)** यदि थाना प्रभारी की गिरफ्तारी है तो उसका अधीनस्थ उ0नि0 इस वाद की विवेचना नही कर सकता है।
6. **जोगेन्द्र नाहक बनाम उड़ीसा राज्य (ए0आई0आर0 1999 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 2565)**
   धारा– 164 द0प्रं0सं0 के अर्न्तगत बयान केवल विवेचक के प्रार्थना पत्र ही लिखे जायेंगें।
7. **बाल चन्द्रन बनाम केरल राज्य (द्र0नि0पा0 पृष्ठ)**
   पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के लिये जाने से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य होता है। और वह इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार नही कर सकता कि उसे यह सूचना उपर्युक्त या विश्वसनीय प्रतीत नही हो रही है।
8. **राजस्थान राज्य बनाम एन0के0 एसीसी 2000 पृष्ठ 30 प्रथम सूचना में देरी।**
   प्र0सू0रि0 में देरी किन परिस्थितियों में क्षम्य है, यह व्यवस्था इस निर्णय में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी है।
9. **उ0प्र0राज्य बनाम सुरेन्द्र त्रिपाठी आदि एसीसी 2001 पृष्ठ–726 (उच्च न्यायालय इलाहाबाद) विधि विरूद्व कब्जा**
   विधि विरूद्व अधिपत्य यदि मान्य है तब उसे सम्पत्ति के मालिक द्वारा भी बल प्रयोग करके नही निकाला जा सकता है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है।
10. **सुन्दरभाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (उम0नि0प0 2003 पृष्ठ 338)**
    पुलिस द्वारा अभिगृहित वस्तुओं को अनावश्यक रूप से या दीर्घावधि तक पुलिस थानों में नही पड़े रहने देना चाहिये।
11. **किशन पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एसीसी 2006 पृष्ठ 1015)**
    यद्यपि न्यायालय द्वारा अन्वेषण के प्रक्रम पर हस्तक्षेप करना उचित नही है तथापि समान रूप से ये भी सही है कि अन्वेषण अभिकर्ता को किसी समय सीमा के बिना अन्वेषण के निष्कर्ष को देर तक रोके रखने का अधिकार नही दिया जा सकता है।
12. गोविन्दा 1876 आई0एल0आर0 1 बम्बई 342
    आपराधिक मानव वध एवमं हत्या में भेद जो आज भी पथ प्रदर्शक है।
13. के0एम0नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1962 एसीसी 604

गम्भीर एवम अचानक प्रकोपन पर हत्या अपराधिक मानव वध की कोटी में आता है।

14. महबूब शाह बनाम किंग एम्पार (1945) 72 इण्डियन अपील 148 पीसी
सेक्शन 34 लागू होने की आवश्यक तत्व ।

15. रीमा अग्रवाल बनाम अनुप 2004 सीआरएलजे 872 एस0सी0
विवाह अवैध होने पर भी दहेज हत्या के प्रकरण में धारा 304बी के प्रावधिान लागू होंगें।

16. विश्वनाथ बनाम जम्मू कश्मीर राज्य एआईआर 1983 एससी 174
अस्थायी गबन भी गबन की श्रेणी में आता है।

17. बृज लालभर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 (55) एसीसी 864 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)
यदि मामला थाने पर असंज्ञेय के रूप में दर्ज होता है और बाद में संज्ञेय मामलें की साक्ष्य प्राप्त होती है तो विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से विवेचना की अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

18. महाराष्ट्र राज्य बनाम तापस डी0 नियोगी 1999 कि0लॉ0 ज0 4305 एससी
अभियुक्त द्वारा अपराध की कमाई से बैंक में जमा किया गया धन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 102 के अर्न्तगत सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। विवेचक को अन्वेषण के दौरान ऐसे व्यक्ति का बैंक एकाउन्ट सीज करने व परिचालन बन्द करने का निर्देश बैंक अधिकारी को देने को अधिकार है।

नोट :– उदेश्य यह है कि अधिकारी को दण्ड प्रकिया संहिता के उन सुसंगल उपबन्धो से सज्जित कर दिया जाये, जिन्हे उसे अन्वेषण अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन और न्यायालय एवं अभियोजन इकाई को न्यायिक कार्यवाहियॉ के मध्य सहायता प्रदान करते समय प्रयोग में लाना होता है।

04– साक्ष्य अधिनियम, संविधान, मानवाधिकार

ए– भारतीय साक्ष्य अधिनियम

कालांश :– 50

अंक 60

1. प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1 से 3
2. तथ्यों की सुसंगतता धारा 5 से 11, 14, 17, 21
3. स्वीकृति एवं संस्वीकृति धारा 20 से 30
4. मृत्युकालिक कथन धारा 32, 32 क
5. विशेष परिस्थितियों में कथन धारा 33, 34, 35
6. विशेषज्ञ की राय धारा 45 से 48
7. शील की सुसंगतता धारा 51, 53, 54, 61
8. अभिलेखीय साक्ष्य धारा 62, 63, 65, 67
9. सार्वजनिक एवं निजी अभिलेख धारा 73, 74, 75, 76
10. साक्ष्य का भार धारा 101 से 110
11. उपधारणा धारा 113ए, 13बी, 114ए
12. साक्षीगण धारा 118, 119
13. विशेषाधिकार पूर्ण संसूचना धारा 122 से 126
14. सह अपराधी धारा 133
15. साक्षीगण का परीक्षण धारा 137, 138, 139, 141, 145, 154, 155, 157, 159, 160 से 165

केस लॉ

1. **धारा 27 सा0अधि0 की बरामदमी**
   सुनील व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली राज्य) एसीसी 2001 पृष्ठ 223 (उच्चतम न्यायालय)
   धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अर्न्तगत पुलिस द्वारा की गई बरामदगी इस कारण अविश्वसनीय नहीं होगा कि अभिलेखों पर निष्पक्ष/स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर पुलिस ने नहीं कराये।
2. **राजस्थान राज्य बनाम हनुमान एसीसी 2001 पृष्ठ 351 (उच्चतम न्याया0) हितबद्व साक्षी।**
   यदि घटना के साक्षी परिवारजन ही है तब भी उनकी साक्ष्य की ग्राहयता कितनी होगी, इस विधि व्यवस्था में मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश डाला गया।
3. **मृत्युकालीन कथन**
   उकरान बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 972 (उच्चतम न्यायालय)
   मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालीन कथन की ग्राहयता एवं कथन अंकित करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है।
4. निसार अहमद बनाम बिहार बिहार राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 846 (उच्चतम न्यायालय परिस्थितिजन्य साक्ष्य मा0सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में यह कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का क्या महत्व है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दण्ड दिया जा सकता है।

बी– संविधान एवं मानव अधिकार

कालांश :– 50

अंक 40

1. भारतीय संविधान का परिचय एवं प्रस्तावना।
2. कानून के शासन की अवधारणा।
3. मौलिक अधिकार (आर्टिकल 12 से 35)
4. *जनहित याचिका*
5. *लोक सेवक का संरक्षण*
6. *लोकायुक्त एवं लोकपाल अधिनियम*
7. *सेवा का अधिकार अधिनियम*
8. *व्हिसल ब्लोअर*
9. *प्रर्वतन निदेशालय*
10. *सिटीजन चार्टर*
11. मौलिक कर्तव्य
12. पुलिस के अधिकारी को निर्बधन (आर्टिकल 33) आर्टिकल 226, केन्द्र एवं राज्यों के अधीन सेवा आर्टिकल 308 से 311, सांसदो एवं विधायको की शक्तियॉ एवं विशेषाधिकार (आर्टिकल 105, 194), परिशिष्ट 7– केन्द्रीय, राज्य एवं समीपवर्ती सूचियॉ।
13. मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उनका महत्व।
14. मानवाधिकारों की सर्वभौमिक उद्घोषणा 1948
15. नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अर्न्तराष्ट्रीय प्रसंविदा।
16. मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 (धारायें 2, 3,4, 5, 12, 13, 14)
17. मानवाधिकारों एवं अपराध पीड़ित , परिवादी, साक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक, विभागीय निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय।
18. मानवाधिकारों , अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, बालकों एवं अल्पसंख्यकों के लिये राष्ट्रीय आयोगों के कार्य एवं शक्तियॉ।
19. अभिरक्षा में अपराधों की पुलिस विवेचनाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देश
20. मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका।
    - ✓ मानवाधिकारों के सम्बन्ध में पुलिस के विरूद्व सामान्य शिकायतें (केस स्टडीज)
    - ✓ मानवाधिकारों की सरक्षक के रूप में पुलिस की छवि को सुधारने की आवश्यकता एवं पहल।
    - ✓

नोटः– (राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनच्छेद 36 से 51 तक हटाया गया है तथा क्रमांक 04 से 10 तक के विषय जोडे गये है जिनकी वर्तमान परिवेश में जानकारी होना आवश्यक है जिससे पुलिस कार्मिक जनपता के प्रति अधिक संवेदनशील हो पायेंगे।

केस लॉ

1. **खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (ए0आई0आर0 1963 मा0 सर्वोच्च न्यायालय)**
   बिना किसी विधिक प्राधिकार के पुलिस कर्मियों द्वारा मात्र पर्यवेक्षण के नाम पर किसी व्यक्ति के घर में रात्रि के समय नियमित रूप से जाना और वहॉ जाकर उसकी उपस्थिति दर्ज करना स्पष्टता उस व्यक्ति के जीवन व दैहिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप है
2. **परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039)**
   एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कही अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सक को घायल व्यक्ति का उपचार तत्काल बिना इस बात की प्रतीक्षा किये किया जाना चाहिये कि प्रथम सूचना रिर्पोट (एफ0आई0आर0) पंजीकृत हुई अथवा नही।
3. महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्र प्रकाश केवल चंद्र जैन (एस0सी0आर0 1990 पृष्ठ 115)
   जब कोई वर्दीधारी व्यक्ति अर्थात पुलिस कर्मी किसी युवा लड़की के साथ बलात्संग का गंभीर अपराध कारित करता है तो ऐसी स्थिति में दण्ड अवश्य ही उदाहरणात्मक होना चाहिये अर्थात इस प्रकार के मामलों में आरोपी के साथ दण्डादेश के प्रश्न पर सहानुभुति या दया की कोई गुंजाइश नही रह जाती।
4. **नीलावती बेहरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एस0सी0सी0 1993 पृष्ठ 746)**
   पुलिस अभिरक्षा के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर राज्य को पुलिस कर्मियों के दोषपूर्ण कृत्यों के लिये उस नागरिक को मुआवजा देना होगा।
5. **सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099**
   सिटिजन फॉर डेमोकेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743
   इन विधि व्यवस्थाओं में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनुमन्य है।
6. **दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642**
   जोगेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य 1994 सीआरएलजे 1981
   गिरफ्तारी के समय के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये हैं।
7. **विशाखा बनाम स्टेट आफ राजस्थान (एआईआर 1997 मा0 सर्वोच्च न्यायालय)**
   कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न न किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश।
8. **के0पी0एस0 गिल बनाम राज्य (क्रि0 ला0– 2005 उच्चतम न्यायालय)**
   आपराधिक विधि का अतिलंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके दण्ड संबंधी परिणाम अवश्य भुगतान होंगें। चाहे भले ही वह पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद पर आसीन क्यो न हो।

- उद्देश्य मौलिक अधिकारों की संवैधानिक योजना के परिदृश्य से अवगत कराना है।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी पुलिस कार्य हेतु मौलिक अधिकारों की पवित्रता को समझने के योग्य होना चाहिये और उसे इन मुद्दो पर दृष्टि रखने के लिये उत्तदायी संवैधानिक प्राधिकारियों की जानकारी होनी चाहिये।

05– स्थानीय एवं विशेष कानून

कालांश :–100

अंक 150

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
2. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
3. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986
4. न्यूनतम मजदूरी वेतन अधिनियम, 1948
5. बन्धित श्रम व्यवस्था (उन्मूलन), अधिनियम, 1976 धारा 2 से 9, 22
6. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 धारा 2, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 82 से 87, 92
7. बाल विवाह अधिनियम 2006
8. विघुत अधिनियम–2003 धारा 135 से 157 तक
9. भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989
10. पुराकालीन वस्तु एवं कला निधियॉ, अधिनियम 1972
11. पुलिस अधिनियम, 1861
12. पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम 1966
13. पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1992
14. सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम
15. शासकीय गोपनीयता अधिनियम।
16. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
17. राष्ट्रीय विवेचना एजेन्सी अधिनियम (एन0आई0ए0एक्ट)
18. बन्दी शिनाख्त अधिनियम, 1920
19. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971
20. किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं परीक्षण) अधिनियम, 2000 (किशोर अपचार विषय हेतु)
21. प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट, 1958 (दण्ड विज्ञान विषय हेतु)
22. अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम, 1956
23. सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867
24. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61वॉ)
25. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 घूस एवं भ्रष्टाचार विषय हेतु।
26. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1952 (घूस एवं भ्रष्टाचार विषय हेतु) 1932 एंव 1961
27. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1952 (घूस एवं भ्रष्टाचार विषय हेतु)
28. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 महिलाओं के विरूद्व अपराध विषय हेतु।
29. घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम –2005
30. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
31. शस्त्र अधिनियम, 1959
32. विस्फोटक अधिनियम, 1884 (आतंकवादियों से सम्बन्धित अपराध विषय हेतु)
33. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (आतंकवादियों से सम्बन्धित अपराध विषय हेतु)
34. विधि विरूद्व क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967
35. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 सम्पूर्ण
36. प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (राष्ट्र से परे अपराध विषय हेतु)
37. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अर्धीनियम, 1946 (अर्न्तर्राज्जीय अपराध विषय हेतु)
38. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972
39. मोटर वाहन अधिनियम, 1988
40. जांच आयोग अधिनियम, 1952
41. जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951
42. आवश्यक सेवायें बनाये रखने का अधिनियम
43. सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति निवारण अधिनियम, 1984

44. तार यंत्र सम्बन्धी तार (विधि विरूद्व कब्जा) अधिनियम 1985 सम्पूर्ण
45. प्रेस एवं पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867– धारा 1से 8, 15, 19ख, 20, 21
46. भारतीय डाकघर अधिनियम 1898–धारा 22 से 27 ख
47. रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्व कब्जा) अधिनियम 1966 सम्पूर्ण।
48. सिविल डिफेंस एवं होमगार्डस अधिनियम सामन्य जानकारी।
49. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 (कॉपी राइट एक्ट) धारा 2, 3, 14, 52ए, 63, 63क, 64, 65, 68क
50. चलचित्र अधिनियम 1952–धारा 2, 5क, 6क, 7, 10, 11, 13, 14
51. कस्टम अधिनियम 1962– धारा 2, 7, 11, 100 से 108, 110 से 117, 132, 138, 140क
52. मानवाधिकार अधिनियम 1993–संपूर्ण
53. सूचना प्रौघौगिकी अधिनियम 2000–संपूर्ण
54. राष्ट्रीय गरिमा के अपयनन का निवारण अधिनियम 1971– संपूर्ण
55. मानव अंगो का अवैध प्रत्यारोपण अधिनियम 1994– सम्पूर्ण
56. धन शोधन –सम्पूर्ण
57. गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंक चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994
58. धार्मिक संस्था (दुरूप्रयोग) अधिनियम 1988– संपूर्ण
59. द ज्यूनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन एक्ट) 2000
60. राज्य द्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1966– धारा 2, 3, 5, 6, 8
61. फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेन्ट एक्ट (फेमा)
62. *एन0डी0पी0एस अधिनियम 2007*
63. *सूचना का अधिकार अधिनियम।*

नोट– सती निवारण अधिनियम, नागरिक अधिकार का संरक्षण अधिनियम, उ0प्र0 चिट फण्ड अधिनियम एवं एण्टी हाई जैकिंग अधि0 की धाराओं को हटाया गया है तथा क्रमांक 62 और 63

राज्य के प्रमुख एक्ट

1. उ0प्र गोवध निवारण अधिनियम 1970 धारा 02 से 09
2. उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910
3. उ0प्र0 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867
4. उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निषेध) अधिनियम 1992– संपूर्ण
5. उ0प्र0 प्रमोद एवं प्रणक्रिया कर अधिनियम 1979–धारा 2, 6, 7, 13, 26, 27, 29, 32
6. उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966
7. उ0प्र0 पी0ए0सी0 अधिनियम 1948
8. उ0प्र0 जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950–धारा 198क
9. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 सम्पूर्ण
10. उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 सम्पूर्ण
11. उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
12. उ0प्र0 होमगाड्र्स अधिनियम 1963
13. यूनाइटेड प्रोबेन्सिज स्पेशल पावर एक्ट 1932 सम्पूर्ण

06– विधि विज्ञान एवं विधि औषधि

कालांश :–80 **अंक 100**

ए– विधि विज्ञान (फारेन्सिक सांइस)

1. विधि विज्ञान एवं अपराध विवेचना में इसकी भूमिका।
2. विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य विशेषज्ञ संस्थान एवं पुलिस कार्य में उनकी उपयोगिता। विशेषज्ञ राय के सम्बन्ध में कानून (साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से 48, द0प्र0सं0 की धारा 293)
3. घटनास्थल का दृश्य और इसका रक्षण एवं परीक्षण।
4. भौतिक साक्ष्य और इनका महत्व। घटना स्थल पर पर भौतिक सूत्रो को पहचानना व एकत्रित करना, भौतिक प्रदर्शो का उठाना, पैक करना, लेवल लगाना एवं परिवहन करना।
5. अगुष्ठ छाप, महत्व, वर्गीकरण, छाप के प्रकार, एकत्रित करना (उठाना और फोटोग्राम लेना), अभिलेखन करना (दस डिजिट एवं एकल डिजिट अभिलेख), पहचानना एवं हथेली की छाप (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
6. पद छाप–महत्व, स्थल पहचानना, एकत्रीकरण , पहचानना, तलुओं और जूतों की छाप (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
7. पहचानना–बाल, रेशा, कपड़ा, खून वीर्य एवं अन्य द्रव्य, मिट्टी, मैल एवं धूल, टायर एवं फिसलन के निशान, शीशा एवं पेन्ट, जलावशेष (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
8. अभिलेख–समस्याअें एवं सिद्वांत, जालसाजियॉ, मिटाया जाना, परिवर्तन किया जाना, जोड़ा जाना, विलुप्त किया जाना, जाली मुद्रा एवं सिक्के, हस्तलेख, टंकित लेख, प्रिन्टिड लेख, पेपर एवं स्याही।
9. विलुप्त निशानों, टूल निशानों, मैकेकिन विश्लेषण का पुर्नस्थापना (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
10. एल्कोहल, दवायें, स्वापक द्रव्य/पदार्थ एवं जहर।
11. खून–जानवर और मानव–खून समूह ।
12. डीएनए एवं विवेचना में इसका महत्व।
13. अस्त्रक्षेप विज्ञान (बैलेस्टिक्स)– आग्नेयाशस्त्र, कारतूस, वुलेट, फायर की दूरी गन शोट रैजीडयू, काला पड़ना और टैटु बनना, फायरिंग पिन की छाप, इक्सट्रैक्टर एवं इजैक्टर के निशान, काला पड़ना और टैटु बनाना। विस्फोटक एवं आई0ई0डी0 (इम्प्रोबाईजइ इक्सप्लोसिव डिवाइसिज)की प्रकृति एवं प्रकार। (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
14. इन्फ्रारेड, अल्ट्रावाइलेट एवं एक्स रेज, भौतिक सामग्री (साक्ष्य) ढुढने एवं अनुसंधान में इनका प्रयोग एवं महत्व (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
15. फोटो में परिवर्तन
16. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 के प्राविधानों के अर्न्तगत ट्रैप के मामलों में रंगो एवं रसायनों का प्रयोग (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
17. विवेचना के मनौवैज्ञानिक उपकरण जैसे–नारकोऐनेलेसिस, ब्रेन मैपिंग एवं लाइडिटेक्शन।
18. पुलिस कार्य में फोटोग्राफी, घटनास्थल, लेबोरेटरी की एवं न्यायालय कार्य के अर्न्तगत फोटोग्राफी (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
19. संदिग्ध का कम्प्यूटर आधारित चित्रण/चित्र तैयार करना (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
20. विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विशेषज्ञ हेतु पत्र/ज्ञापन तैयार करना एवं अग्रसरित करना। (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
21. फिंगर प्रिन्टस का कम्प्यूटराइजेशन, इन्डेक्सिंग, डाटाबैक, क्रास चैकिंग करना तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्योरों द्वारा विकसित ओटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आइडेटिफिकेशन सिस्टम।

बी– विधि विज्ञान शास्त्र (फारेन्सिक मेडिसन)

कालांश :–50 **अंक 50**

1. पुलिस कार्य में विधि चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र (स्कोप) एवं महत्व।
2. मेडीकोलीगल साक्ष्य के दृष्टिकोण से घटनास्थल का निरीक्षण।
3. यातायात एवं अन्य दुर्धटनाओं से होने वाली चोटो सहित घावों के प्रकार।
   - ✓ अग्नि दाह
   - ✓ बन्दूक की गोली/छर्रा–प्रवेश एवं निकास घाव।
4. मृत्यु के कारणों एवं मृत्यु के पश्चात व्यतीत समय पर बल देते हुये मेडिकोलीगल पहलू।
5. हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना एवं स्वाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु।
6. श्वासावरोध–फांसी लगाकर मृत्यु, दम घुटने से मृत्यु, श्वांस रोध, गला घोटकर मृत्यु और डुबकर मृत्यु
7. मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के तरीकें :–
   - ✓ उत्खनन, पोस्टमार्टम परीक्षण, क्षत–विक्षत मृत शरीर का परीक्षण।
   - ✓ अस्थि अवशेष और लिंग एवं आयु का निर्धारण।
8. यौन अपराध–बलात्कार, अवैध गर्भपात एवं बाल हत्या।
9. आयु निर्धारण सहित जीवित व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के तरीकें।
10. अपराध (जीवित एवं मृत शरीर) कारित करने हेतु भारत में साधारणतः प्रयोग में लाये जाने वाले जहरों का मेडीकोलीगल पहलु।
11. पोस्टमार्टम एवं मेडिकोलीगल आख्याओं में सामान्यतः प्रयोग किये जाने वाले शब्द।
12. घायलों एवं लाशों का परिवहन।
13. पोस्टमार्टम एवं मेडिकोलीगल परीक्षण में सामान्यतः प्रयुक्त विभिन्न शब्द/शब्दावली।
14. धारदार हथियार द्वारा, नुकीले हथियार द्वारा, आग्नेयास्त्र से, जलने से, बारूद से आई चोटो का मेडिकोलीगल दृष्टि से ज्ञान।

नोट :– उपरोक्त विषयों का प्रशिक्षण दिये जाते समय व्याख्यान, द्रश्य–श्रव्य सहायकों और केस स्टडी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिये।

07– विवेचना

कालांश :–138 **अंक 150**

1. **विवेचना का परिचय, विवेचना में सामान्य सिद्वांत एवं चरण।**
   - ✓ विवेचक अधिकारी की सार दक्षतायें/कौशल।
   - ✓ सूचना एवं विवेचना : कानूनी पहलू (द0प्र0सं0 की धारा 154 से 176, राज्य पुलिस नियमों को सुसंगल उपबन्ध)
2. **अपराध का पंजीकरण एवं अपराध स्थल।**
   - ✓ प्रथम सूचना रिपोर्ट का तैयार किया जाना (द0प्र0सं0 की धारा 154 व 155) व्यवहारिक अभ्यास सहित।
   - ✓ आपराधिक कार्यवाहियों का स्थलः निरीक्षण और अपराध घटना स्थल का रक्षण–वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा अपराध घटना स्थल का भ्रमण।
   - ✓ अभिलेखन–फोटोग्राफी–स्कैच बनाना–नोट करना–साक्षयों की पहचान कर स्थिति निर्धारित करना।
   - ✓ भौतिक साक्ष्यों को उठाना, पैक करना, लेवल लगाना और सील बन्द करना, परामर्श हेतु पत्र एवं प्रदर्शो को अग्रसरित करना।
   - ✓ प्रदर्शो की अभिरक्षा की कड़ी को बनाये रखना एवं विचारण न्यायालय के सम्मुख उन्हे प्रस्तुत करना।
3. **मौखिक साक्ष्य का एकत्रीकरण**
   - ✓ साक्षीगण, संदिग्धों एवं अभियुक्तों का परीक्षण दृश्य श्रव्य रिकॉडिंग सहित (दं0प्र0सं0 की धारा 160 से 164, 171, 306 से 308 एवं साक्ष्य अधिनियम धारा 24 से 30)
   - ✓ पूछताछ/संज्ञानात्मक साक्षात्कार के सिद्वांत एवं तकनीकियॉ।
   - ✓ संस्वीकृति – न्यायिक गैर न्यायिक (कानून के सुसंगत प्राविधान) मृत्युकालिक कथन का अभिलेखन रिर्कोडिंग) कानून की संसगत धारायें एवं नियम), स्वीकृति।
   - ✓ विवेचना में प्रयोग किये जाने वाले मानक प्रारूप, सीसीटीएनएस
   - ✓ प्लॉन ड्रांइग।
4. **अभिलेखीय साक्ष्यों , सम्पत्ति एवं भौतिक वस्तुओं का एकत्रीकरण** – तलाशी एवं जब्ती–जब्ती सूची की तैयारियॉ (धारा 99, 100, 102, 165 एवे 166 द0प्र0सं0–धारा 61 से 90 भा0सा0अधि0) जब्ती मैमो, तलाशी मैमो आदि।
5. **पंचनामा धारा 174 से 176 (दं0प्र0सं0) –** पंचनामा रिपोर्ट का तैयार किया जाना (निर्धारित प्रारूप में) –राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के आदेश एवं निर्देश।
6. **शिनाख्त** :– शारीरिक विशेषताओं का अभिलेखन किया जाना, एक व्यक्ति की शिनाख्त के सम्बन्ध में सिद्वांत–व्यक्ति एवं सम्पत्ति की टैस्ट शिनाख्त परेड (कैदी की शिनाख्त अधिनियम की सुसंगत धारायें) पूर्वव्रत सत्यापन (राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत प्रावधान)
7. केस डायरी (द0प्र0सं0 धारा 172) क्रिया पद्वति केस डायरी लिखना, साक्ष्य चार्ट एवं साक्ष्य का मैमो, धारा 161 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत बयान लिखना।
8. व्यक्ति एवं स्थान की निगरानी, इलैक्ट्रॉनिक निगरानी, कॉल डिटेल रिपोर्ट का विश्लेषण।
9. गिरफ्तारी अभिरक्षा – रिमांड– जमानत/अभिरक्षा मैमो का तैयार किया जाना–आख्या का अग्रसरण (धारा 41 से 60, 167, 436, 439 द0प्र0सं0) गिरफ्तारी मैमों, रिमांड प्रार्थनापत्र, जमानत बंध पत्र सूचना शीट, धारा 160 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस, हथकड़ी का प्रयोग एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश।

10. आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट दाखिल करना। विवेचना के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेख/थाने के रजिस्टरों में प्रविष्टियॉ। थान अभिलेख/सॉफ्टवेयर , जिला अपराध अभिलेख शाखा, एससीआरबी, एनसीआरबी एवं विवेचना के दौरान एमओबी से सहायता। क्षमा प्रदान किये जाने एवं अप्रूवर सम्बन्धी प्रक्रिया। प्रत्यार्पण सम्बन्ध प्रक्रियायें। विचारण अनुश्रवण व्यवस्था। केस के अन्तिम निर्णय के उपरान्त न्यायालय की अभिरक्षा में रखे हुये अभिलेख एवं नकदी का उन्मुक्त किया जाना। मनः स्वापक एवं निषिद्व द्रव्यों का विचारण के पूर्व निस्तारण

11. अ– विशिष्ट अपराधों की विवेचना :–

- ✓ **गृह भेदन**
- ✓ **लूट एवं डकैती**
- ✓ **जहरखुरानी।**
- ✓ **बलात्कार**
- ✓ **बलवा**
- ✓ **हत्या**
- ✓ **हिट एण्ड रन केस**
- ✓ **आगजनी**
- ✓ **जलाकर दहेज हत्या।**
- ✓ **अपहरण**
- ✓ **वाहन चोरी**
- ✓ **एनडीपीएस एक्ट के अपराध**
- ✓ **गबन बैंक, इन्श्योरेंस, वाणिज्य, डाकघर, रेलवे में धोखाधड़ी व प्रतिरूपण करके छल।**
- ✓ **लोकसेवक की पोशाक या टोकेन धारण करके छल करना।**
- ✓ **रेलवे एक्ट एवं रेलवे सम्पत्ति से संबंधित अपराध।**
- ✓ **आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी**
- ✓ **आपराधियों को विदेशों से बुलाने का ज्ञान।**

बः– अभियोजन

- ✓ **जनपदीय न्यायिक व्यवस्था व मुकदमों की पैरवी।**
- ✓ **विभिन्न न्यायालयों की शक्ति व कार्य विभाजन।**
- ✓ **डी0जी0सी0 (क्रिमीनल)/ए0डी0जी0सी0 (क्रिमीनल) व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी आदि के कर्तव्य।**
- ✓ **रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया एवं सुनवाई**
- ✓ **अभियोगो का सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी/पैरोल की प्रक्रिया।**
- ✓ **अपील करने की प्रक्रिया (कुछ केश लॉ दिये जायें जिसमें सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बरी किये जाने के बाद भी उच्चतम न्यायालय द्वारा सजा दे दी गई अथवा बढा दी गई)**
- ✓ **गवाहों की समस्यायें और उनका निराकरण।**

12. विवेचना में व्यवहारिक अभ्यास–अपराध स्थल अनुररूपण–देखभाल परीक्षण, पुलिस पोर्टेट

नोट :– उद्देश्य प्रशिुओं को वैज्ञानिक एवं कानून सम्मत विवेचना की कला से सुसज्जित करना है। व्याख्यान/दृश्य–श्रव्य/केस स्टडी/अनुरूपण अभ्यास एवं फील्ड क्राफ्ट भ्रमण जैसी क्रिया पद्वति का प्रयोग करते हुये विवेचना में विभिन्न चरणों को क्रमबद्व तरीके से पढाया जाना चाहिये। प्रशिक्षण की समप्ति पर अधिकारी अपराध की विवेचना स्वतंत्र रूप से कर सकने हेतु विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिये। विवेचक की हैसियत से द0प्र0सं0 के प्रावधानों के साथ–साथ राज्य पुलिस नियमों/विनियमों के सुसंगत प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

08– पुलिस थाना प्रबन्धन एवं अपराध नियंत्रण

कालांश :–100 **अंक 100**

1– **थाने के सामान्य कार्य :–**

पुलिस थाना–अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था के रख–रखाव के सन्दर्भ में पुलिस स्टेशन के दैनिक क्रिया कलापों की मोटी–मोटी विशेषतायें। थाने के प्रभारी अधिकारी के दायित्व एवं शक्तियॉ। थाने के मानव एवं भौतिक संसाधनों के प्रबन्धक के रूप में भूमिका एवं विभिन्न प्रकार पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की आवश्यकताओं एवं उत्तरदायित्वों के प्रति अनुक्रिया (रिसपोन्स)। उप निरीक्षकों एवं सहायक उपनिरीक्षकों के दायित्व। थाने पर आरक्षियों/मुख्य आरक्षियों के कार्यो का पर्यवेक्षण। राजकीय भवन एवं थाना सम्पत्तियों का रख–रखाव–आर्म्स एम्युनेशन की देख–भाल एवं अभिरक्षा। थाने में लॉकअप का रख–रखाव एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप अभियुक्तों को सुरिक्षत ले जाना। केस सम्पत्ति का रख–रखाव एवं निस्तारण। पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों का कल्याण।

थाने के अभिलेखों एवं रजिस्टरों का रख–रखाव

थाना अभिलेख – विभिन्न रजिस्टरों एवं उनकी उपयोगिता। राज्य पुलिस नियमों/विनियमों के अनुसार थाने पर अभिलेखों एवं रजिस्टरों के रख–रखाव के सम्बन्ध में सामान्य नियम। विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्टरों में प्रविष्टिया अंकित करने की प्रक्रिया।

2– अपराध की रोकथाम :–

अपराध की रोकथाम – तकनीकें एवं रणनीतियॉ। बीट एवं गश्तः उद्देश्य एवं प्रक्रिया– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीट पद्वति–योजना, फैलाव (डिपलायमेन्ट) एवं पर्यवेक्षण, इलैक्ट्रोनिक बीट का परिचय। आपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण–पुलिस को सूचना देने हेतु (गोटिव)–सूचना के अभिलिखित स्त्रोत–मुखबिरों का फैलाव एवं रख–रखाव/सूचना देने वाले एवं अभिकर्तागण क्या करें क्या न करें– आपराधिक अभिसूचना के एकत्रीकरण की सहायता में नागरिक सहयोग। आपराधिक अभिसूचना का विकीर्णन (डिसेमिनेशन)

3– निगरानी – उदेश्य एवं तकनीकें

4– कानूनी प्राविधाना एवं प्रक्रियॉ – निगरानी के तौरतरीकों पर न्यायालय के निर्देश ग्राम भ्रमण एवं अपराध की रोकथाम में इसका महत्व।

5–धारा 106, 107, 109, 110, 133, 145, 150 एवं 151 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत रोकथाम के उपाय एवं रोकथाम की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के लिये रिपोर्ट का बनाया जाना।

6– हिस्ट्रीशीट , व्यक्तिगत पत्रावली व दुष्चरित्र लेख का बनाया जाना। गुहार (हयू एवं क्राई) नोटिस, अजनबी नामावली, सूचना सीट आदि।

7– पैरोल उल्लंघन कर्ताओं से व्यवहार (द गुड कन्डक्ट ऑफ प्रिजनर्स प्रोबोसन रिलीज एक्ट नम्बर 10, 1926, धारा 2 से 8)

8– जमानत उल्लंघन कर्ताओं एवं घोषित अपराधियों के साथ व्यवहार (थाना अभिलेख एवं प्रक्रिया)

9– डकैती एवं गृहभेदन जैसे अपराध के विशेष प्रकारों की रोकथाम।

10– जमानत का निरस्तीकरण।

11– अपराध के माध्यम से प्राप्त की गयी सम्पत्ति की जप्ती (एनडीपीएस एक्ट और प्रोवेशन और मनी लोनाड्रिंग एक्ट के प्राविधान एवं पीएमएलए में पुलिस की भूमिका।

12 – अपराध एवं अपराधियों के अभिलेख –

- ✓ गैग रजिस्टर एवं गैंग केसेज।
- ✓ अपराध एवं अपराधियों की कार्य पद्वति।
- ✓ आवश्यकता एवं महत्व– पुलिस थाना अभिलेख, डीसीआरबी, एससीआरबी, एनसीआरबी, इन्टरपोल,
- ✓ अपराध अभिलेख प्रबन्धन एवं कम्प्यूटर अभिलेख सहित इनकी उपयोगिता, अपराध की रोकथाम एवं सीसीटीएनएस।

13– क्राइम मैपिंग

14– अपराध की रोकथाम में सहायता के लिये सामुदायिक पुलिसिंग।

15– वायरलैस दूरसंचार :–

- ✓ परिभाषा
- ✓ आधारभूत धारणायें एवं दूरसंचार नेटवर्क का महत्व।
- ✓ प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों के प्रकार
- ✓ डब्लूएएन का महत्व एवं कार्य
- ✓ ध्वन्यात्मक वर्णमाला
- ✓ कुछ महत्वपूर्ण आदर्श वाक्यांश
- ✓ दूरसंचार संवाद के क्या करे व क्या न करे।
- ✓ सन्देशों की प्राथमिकता ।
- ✓ वायरलैस सेटों की हैण्डलिंग, पुलिस वायरलैस सेटों/सिस्टम में आने वाली सामान्य कमियॉ एवं उनका निराकरण।
- ✓ हैण्ड हैल्ड एवं स्टेटिक्स मोबाइल वायरलैस सेटों पर वार्ता करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण।
- ✓ संदेश– लेखन एवं वर्गीकरण।
- ✓ नियन्त्रण कक्ष एवं पुलिस मोबाइलस–सीसीआर, डीसीआर की कार्यप्रणाली।
- ✓ दूरसंचार में आधुनिक पद्वतियॉ।
- ✓ एच0एफ0 इलेक्ट्रॉनिक टेली प्रिन्टर, आर0टी0वाई0, सैटैलाइट कम्यूनिककेशन (पोलनेट), आप्टिकल फाइबर आदि।

09– लोक प्रशान्ति एवं व्यवस्था का रख–रखाव

कालांश :–80 **अंक 100**

भाग – 01 भीड़ एवं अवैध जमाव

कालांश :– 30

अंक :– 40

1. भीड़ का मनोविज्ञान एवं व्यवहार, संयुक्त उत्तरदायित्व, सामान्य आशय, अवैध जमाव।
2. भीड़ नियन्त्रण के सिद्वांत, विभिन्न प्रकार के आन्दोलन कार्यो से निपटने में पुलिस प्रवृत्ति, अभिसूचना संग्रह परामर्श एवं मध्यस्थता। अफवाहें, कानून व्यवस्था की स्थितियों की प्रत्याशा। महिलओं, छात्रो, श्रामिको किसानो आदि के आन्दोलन से निपटने में विशेष समस्याओं। थाना की दंगा नियन्त्रण योजना का ज्ञान। भीड़ का नियन्त्रण के सम्बन्ध निरोधात्मक कार्यवाही के प्राविधान।
3. मेलों एवं त्यौहारों हेतु प्रबन्ध।
4. बल प्रयोग और हिंसक भीड़ से निपटने के कम घातक तरीकें।
5. दंगारोधी योजनाओं के मोटे–मोटे सिद्वांत।
6. गति, आदेश एवं नियंत्रण की समस्याओं।
7. होमगार्डस, पैरामिल्ट्री बलों की नियुक्ति के मोटे सिद्वांत, समन्वय एवं सहयोग के तरीकें।
8. साम्प्रदायिक समस्याओं से निपटना।
9. न्यायिक जांचे : कमीशन ऑफ इन्क्वारीज एक्ट – 1952 की मुख्य विशिष्टतायें। पुलिस के सम्बन्ध में जॉच आयोगो के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय।
10. चुनवा प्रबन्धन।
11. प्राकृतिक आपदाओं महत्वपूर्ण दुर्घटनाओं आदि द्वारा उत्पन्न संकट को संभलाना।
12. आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका।
13. आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय नीति व योजनायें।
14. आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में अन्य विभागों से सांमजस्य।
15. आपदा प्रबन्धन में गैर सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) की भूमिका।
16. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम (नेशनल डीजास्टर मैनेजमेंट एक्ट)
17. बचाव एवं राहत कार्य के दौरान–प्राकृतिक आपदायें जैसे बाढ, भूकम्प, चक्रवात, भूस्खलन, तूफान, अतिवृष्टि आदि के समय कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।
18. बाढ राहत कार्य में पुलिस एवं पीएसी की भूमिका।
19. अन्य आपदायें/बडी दुर्घटनायें–विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औघोगिक दुर्घटना, भगदड़ इत्यादि के दौराना कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।
20. सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्ययोजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व।
21. आग की घटनायें –अग्निशमन /बचाव कार्य
22. गम्भीर दुर्घटनाओं/आपदाओं के दौरान घटित होन वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही।

भाग – 02 सुरक्षा

कालांश :– 20 **अंक :– 20**

ए– आंतरिक सुरक्षा

आंतरिक सुरक्षा का परिचय, प्रचलित परिदृश्य, गैरपरम्परागत आन्तरिक सुरक्षा बिन्दुओं जैसे पर्यावरण सम्बन्धी मामले आदि सहित आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियॉ एवं सम्बद्व शाखायें :–

1. आन्तरिक सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही के लिये रिपोर्ट्स का बनाया जाना।
2. वामपन्थी अतिवाद, युद्व प्रियता, राजद्रोह, आतंकवादी गतिविधियॉ और धार्मिक कट्टरवादिता सहित विभिन्न प्रकार के अतिवाद (केस अध्ययनों पर विचार विमर्श)
3. आतंकवाद, राजद्रोह एवं वामपंथी अतिवाद से निपटने के निरोधी उपाय, रणनीती और सामरिक चालें।
4. आन्तरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अभिसूचना का संग्रह (सफल एवं असफल मामलों की केस अध्ययन)
5. शहरी आतंकवाद , बंधक स्थितियों, अतिवाद एवं राजद्रोह से निपटना।
6. आतंकवाद निरोधी एवं राजद्रोह निरोधी अभियान।

बी– वी0आई0पी0 सुरक्षा

कालांश :– 15 **अंक :– 20**

1. अग्रिम सुरक्षा लायजन, प्रवेश नियंत्रण एवं तोड़फोड़ विरोधी परीक्षण सहित वीआईपी सुरक्षा के सामान्य सिद्वांत।
2. वी0आई0पी0 के लिये सुरक्षा प्रबन्ध :–
   - ❖ ठहरने के स्थान पर
   - ❖ सार्वजनिक सभा में
   - ❖ कानवाय प्रबन्ध सहित सड़क पर आवागमन के समय।
   - ❖ हैलिपैड/एयरपोर्ट पर
3. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं संवेदनशील बिन्दुओं की सुरक्षा।
4. सुरक्षा सम्बन्धित उपकरणों का प्रयोग।

भाग – 03 यातायात प्रबन्ध

कालांश :– 15 **अंक :– 20**

1. यांत्रिकी, शिक्षा एवं प्रवर्तन सहित यातायात प्रबन्धन की अवधारणायें एवं तकनीकें।
2. यातायात पुलिस के संगठन एवं कार्य
3. सड़क सुरक्षा शिक्षा :– यातायात नियंत्रण उपकरण, सड़क चिन्ह, सड़क निशान, अति अवरोधक, यातयात संकेत, क्षेत्र यातयात नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरण अवरोधों को हटाया जाना।
4. यातायात कानूनों प्रवर्तन में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों – रडार गन, स्वाष विश्लेषक, धुरी भार तोलना, स्वतः निकास उर्त्सजन विश्लेषक आदि को सम्भालना।
5. यातायात ड्रिल – यातायत नियंत्रण के सिद्वांत, हस्तड्रिल द्वारा मानवीय नियंत्रण, सड़क ड्रिल के माध्यम से द्वि, त्रयी व बहुखण्डीय यातायात नियंत्रण।
6. मोटरवाहन दुर्घटनायें– दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक सुरक्षा, आवागमन रेखा, प्रतिकिया समय, स्किड चिन्ह एवं फोरेन्सिक साक्ष्य, कारण एवं रोकथाम, दुर्घटना डाटा की रिपोटिंग/रिकार्डिंग एवं विश्लेषण यातायात कानून एवं नियम महत्वपूर्ण यातयात उल्लंघनों के लिये चालान का तैयार किया जाना थर्ड पार्टी बीमा, मोटर दुर्घटना दावे, मुआवजा योजना, 1989 सड़क शिष्टचार।
7. वाहनों में लाल एवं नीली फलैश/बत्ती तथा हूटर व सायरन के प्रयोग करने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों की जानकारी।
8. वाहनों का पंजीकरण एवं नियंत्रण।
9. वाहनों का दुर्घटना बीमा एवं योजनायें।

नोट :– अन्तः कक्षीय एवं वाह्य कक्षीय शिक्षण को जोड़ते हुये अनुरूपण अभ्यासों का प्रबन्ध किया जाना चाहियें।

10– अपराध शास्त्र

कालांश :–50 **अंक 50**

1. अपराध की अवधारणा, अपराध एवं अपराधियों के प्रकार एवं अपराध की रोकथाम में पुलिस की भूमिका
2. अपराधशास्त्र में सिद्वांतो का परिचय
3. अपराध के कारक– मनौविज्ञान, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक किशोर अपचार– कारण और किशोर अपचारियों के सुधार में पुलिस की भूमिका।
4. पथ विचलन– व्यक्तिगत एवं सामूहिक संगठित अपराध, सफेदपोश अपराध।
5. दुर्गुण :– जुआखोरी, शराबखोरी, वेश्यागमन, पुर्नवास, नशाखोरी एवं नशामुक्ति, दण्ड शास्त्र की परिभाषायें एवं निवारण, अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र का संबंध। दण्ड–आवश्यकता, दण्ड शास्त्र दण्ड के सिद्वांत, जेल, दण्डात्मक एवं सुधारात्मक सिद्वांत, परिवीक्षा, पैरोल सुधारात्मक संस्थायें एवं सुधारात्मक प्रशासन एवं सामाजिक पुनः निर्माण।
6. अपराध व्यसन।
7. अपराधिक न्याय प्रणाली– अन्तर संगठनात्मक समन्वय एवं सहयोग।
8. पीड़ा शास्त्र – अवधारणा एवं उपदेश, मुआवजा पुनर्वास, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं एवं सामाजिक सुधार कार्यो में लगे हुये समुहों के साथ समन्वय एवं सहयोग।
9. देश में कारागार प्रणाली, उद्भव एवं विकास, खुला कारागार, उपचार एवं अपराध की पुनरावृत्ति पर नियंत्रण।
10. बाल अपराध– प्रकार एवं कारण।
11. बाल न्यायालय, बाल कल्याण बोर्ड, बाल गृह, विशेष विघालय, पर्यवेक्षण गृह, परिवीक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, बोस्टल संस्तुति, बाल न्यायालय की कार्यप्रणाली, विशेषतायें व आपराधिक न्यायालयों से भिन्नता।

नोट :– उद्देश्य प्रशिक्षुओं को अपराध के प्रेरक कारको, अपराधिक मनोविज्ञान और सुधारात्मक तकनीकों का महत्व को समझाना है। सिद्वांत सम्बन्धी निर्देशों से बोझिल करने के बजाय क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों के विस्तार वर्णन पर बल दिया जाना चाहिये।

11– विवेचना–प्रयोगात्मक कार्य

कालांश :–100 **अंक 100**

1. अंगुष्ठ छाप का उठाना।
2. पदछाप का उठाना।
3. भौतिक प्रदशों को उठाना, पैक करना, लेबिल लगाना व अग्रसरित करना।
4. चोट के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
5. हत्या के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
6. एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
7. चोरी के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
8. एक घातक दुर्धटना मामले की पूर्ण विवेचना।
9. एक बलात्कार मामले की पूर्ण विवेचना।
10. डकैती/लूट के एक मामले की पूर्ण विवेचना।

नोट :– प्रत्येक उप विषय के लिये 10 अंक निर्धारित है।

उदेश्य :– प्रशिक्षु को जब और जैसे ही उसे थाने में नियुक्त कर दिया जाता है, आत्मनिर्भर रूप से विवेचना कर सकने के लिये आत्मविश्वास पूर्ण महसूस कराना है। अनुरूपित घटना स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिये और समस्त कानूनी , साक्ष्य सम्बन्धी व प्रक्रियात्मक पहलुओं को शामिल करते हुये प्रशिक्षु को अपराध की आत्मनिर्भरता रूप से विवेचना करने के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये। अनुभवी पुलिस विवेचना अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षु को पूर्ण अन्तिम रिपोर्ट/चालान तैयार करना चाहिये। विधि अधिकारी द्वारा ऐसी अन्तिम रिपोर्ट/चालान का बारीकी से निरीक्षण करके विवेचना में हुयी प्रक्रियात्मक चूकों/कमियों को उजागर करना चाहिये।

12– मानव व्यवहार एवं प्रबन्धन तकनीकें

अ– मानव व्यवहार

कालांश :–37 **अंक 45**

1. मानव व्यवहार को समझना।
2. मानव व्यवहार एवं पुलिस की भूमिका।
   - ✓ व्यक्ति वैसा व्यवहार क्यो करते है जैस वे करते है।
   - ✓ अवबोधन, प्रवृत्ति एवं व्यवहार।
   - ✓ पूर्वाग्रह, रूढियों एवं पक्षपात।
   - ✓ मानव व्यक्तियों का विकास एवं एक स्थिर व्यक्तित्व की विशेषतायें।
   - ✓ एक अच्छे पुलिस अधिकारी के गुण।
   - ✓ चिन्ता एवं चिन्ता से निपटना।
3. पुलिस का जनता के साथ व्यवहार– इसका महत्व, परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन कारित करने के तौर–तरीके।
4. औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह– समूह व्यवहार, छोटे समूहों के परिवर्तनशील ढॉचा (पैर्टन) एवं उनके कार्य तथा भीड़ मनोविज्ञान महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों, महत्वपूर्ण परिस्थितियों और छात्रों एवं नवयुवको, ओघोगिक मजदूरों, किसान असंतोष, साम्प्रदायिक, भाषायी, क्षेत्रीय संर्घषो, राजनैतिक दलो से सम्बन्धित समस्याओं को समझाना।
5. पुलिस उप संस्कृति को समझना।
6. पुलिस छवि एवं सुधार के लिये पहलें (ईनीशियेटिव्स)
7. पुलिस जनता सम्बन्ध–आवश्यकता एवं सुधार के लिये रणनीतियॉ।
8. विभिन्न पुलिस ईकाइयों द्वारा अपनायी गयी अच्छी प्रथायें।

ब– प्रबन्धन तकनीकें

कालांश :–40 **अंक 55**

1. प्रबन्धन की अवधारणा, नेतृत्व– अवधारणा गुण एवं शैली।
2. प्रबन्धन भूमिकायें और प्रबन्धन कार्य।
3. सामान्य नेतृत्व के गुण– नवप्रर्वतन और व्यक्ति का मूल्यांकन
4. संगठनात्मक व्यवहार :– संवाद– मौखिक, लिखित, अशाब्दिकय कार्य सम्पादनात्मक विश्लेषणय संवाद में बाधायें एवं इन पर काबू पाने के उपाय।
    - ✓ सुनने की कला, संवाद में परानुभूति और प्रभावशाली मूल्यांकन (फीडबैक) देने का कौशल।
    - ✓ कार्यस्थल पर क्रोध और आक्रामकता पर नियंत्रण करना।
    - ✓ समूह गतिशास्त्र और दल निर्माण।
    - ✓ संघर्ष /द्वन्द प्रबन्धन पुलिस में अनुप्रयोग हेतु प्रेरणा के सिद्वांत।
5. प्रबन्धकीय कौशल
6. मीडिया प्रबन्धन :– मीडिया के साथ व्यवहार, सामान्य सिद्वांत एवं विधिक सन्दर्भ–मीडिया ब्रीफिंग, कसौटी एवं समय, क्या करें क्या न करें।
    - ✓ समय प्रबन्धन
    - ✓ तनाव प्रबन्धन
    - ✓ आधारभूत कौशल
    - ✓ अध्ययन कौशल
    - ✓ लेखन कौशल
    - ✓ आख्या लेखन
    - ✓ कार्यालयी संवाद कौशल
    - ✓ सुनने का कौशल
    - ✓ सार्वजनिक बोलने की कला।
7. आत्मचेतना – स्वयं एवं स्वयं के आयामों को समझना।
8. कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रदर्शन मूल्य निर्धारण।
9. संघर्षो का प्रबंध करना – अ–वरिष्ठ–अधिनस्थ ब– अन्तर–व्यैक्तिक, स– अन्तर–विभागीय
10. पुलिस में संघर्ष समाधाान– छात्रों, नवयुवको, संगठितों श्रामिकों, अतिवादियों को संभालना– वार्ता (निगोसियेशन) कौशल पुलिस में मानव संसाधन विकास, परामर्श दायी कौशल एवं अन्तर व्यैक्तिक फीड बैक, अधीनस्थों का विकास करना प्रशिक्षण एवं विकास रणनीतियॉ।

13– कम्प्यूटर प्रशिक्षण – प्रयोग एवं उपयोगिता

कालांश :–80 **अंक 100**

1. कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता।
2. कम्प्यूटर एवं इसके हिस्से से परिचय – हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण– जैसे पैन ड्राइव आदि, सॉफ्टवेयर
3. कम्प्यूटर के हिस्सों का केबिल कनेक्शन
4. विन्डों का परिचय।
5. विन्डो एप्लीकेशन।
6. नोट पेड
7. माई कम्प्यूटर
8. टाइपिंग ट्यूटर
9. एम0एस0वर्ड का परिचय
10. फाईल बनाना/सेव करना/एम0एस0वर्ड में खोलना।
11. एम0एस0वर्ड में एडिटिंग करना।
12. एम0एस0वर्ड में ब्यू एवं इन्सर्ट कमाण्ड
13. एम0एस0वर्ड में फारमेट और टूल कमाण्ड
14. एम0एस0वर्ड में टेबिल और फॉन्ट सेटिंग
15. एम0एस0वर्ड में प्रिटिंग कमाण्ड
16. एम0एस0 पावर प्वाइंट का परिचय
17. पावर प्वांइंट में स्लाइड बनाना।
18. एम0एस0एक्सल का परिचय
19. इन्टरनेट और सर्फिंग का उपयोग।
20. सी0सी0टी0एन0एस0 का परिचय
21. सी0सी0टी0एन0एस0 फार्म को भरना।
22. पी0बी0एस0 का परिचय एवं स्कैच
23. राज्य का विशिष्ट पुलिस सॉफ्टवेयर
24. नेटवर्किंग का परिचय – हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर।
25. इंटरनेट– टी0सी0पी0/आई0पी0 प्रोटोकॉल, आई0पी0 एडरेस स्कीम।
    - ✓ आई0टी0एक्ट 2000 एवं अन्य अधिनियम तथा संहिताओ में संशोधन।
    - ✓ साइबर अपराध एवं इंटरनेट अपराध रोकथाम एवं विवेचना एवं डिजीटल साक्ष्य को समझना।
26. कम्प्यूटर संबंधित अपराधं
27. ईमेल एकाउंट बनाना, ई–मेल भेजना/प्राप्त करना/फाइल डाउनलोड करना। ई–मेल ट्रैक करना।
28. कम्प्यूटर फोरेन्सिक्स– मुद्दे एवं चुनौतियॉ
29. इलैक्ट्रौनिक निगरानी तकनीकियॉ, आई0पी0 कैमरा, सेटेलाइट छवियॉ, जी0आई0एस0/जीपीएस, आरएफआईडी तकनीक, साइबर सुरक्षा उद्देश्य प्रशिक्षुओं का कम्प्यूटर साक्षर बनाना है।
30. ऑन लाइन टेलीफोन डायरेक्ट्री को एक्सेस करना।
31. कम्प्यूटर वायरस– कम्प्यूटर वायरस का ज्ञान, एन्टी वायरस प्रोग्राम।
32. पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज/सॉफ्टवेयर– पे–रोल, नामिनल रोल, ट्रेफिक मैनेजमेन्ट आदि जानकारी।
33. सैल फोन, कैमरा एवं पैनड्राइव, फैक्स मशीन, फोटोस्टेट मशीन जैसे उपसाधनों एवं वाह्य साधनों की जानकारी एवं प्रयोग।
34. इलैक्ट्रोनिक सर्वेलांस :–
    - ✓ कानूनी प्राविधाना तथा अनुमति।
    - ✓ विधि एवं कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता।

- ✓ मोबाइल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार तथा उसके विभिन्न फंगशनों का प्रयोग।
- ✓ लैण्ड लाइन बेसिक एवं डब्लू0एल0एल0 टेलीफोन की कार्यप्रणाली।
- ✓ प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नंबर।
- ✓ इलेक्ट्रोनिक संर्वेलांस –हेतु विभिन्न उपयोगी उपकरण।
- ✓ इलेक्ट्रोनिक संर्वेलांस– कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों/अपराधियों की स्थिति का पता लगाना।
- ✓ फोन टेपिंग–मोबाइल पर संदिग्धों/ अपराधियों को सुनना एंव उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ मोबाइल फोन एवं नवीनतम उपकरणों का परिचय एवं उनकी कार्यप्रणाली।
- ✓ विभिन्न अपराधों /घटनाओं के अनावरण में इलैक्ट्रोनिक के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।
- ✓ इलेक्ट्रोनिक संर्वेलांस– प्रस्तुतीकरण (प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा)

प्रशिक्षण समाप्ति पर अधिकारी अपने दैनिक कार्यो में कम्प्यूटर का प्रयोग , कम्प्यूटर पर केस डायरियॉ एवं विवेचना से संबंधित अभिलेखों को अंकन सहित करने समर्थ हो सके।
इसमें हैंडस ऑन अभ्यासों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाये।

14– पुलिस रेग्युलेशन/नियम/मैनुअल

कालांश :–80 **अंक 100**

उ0नि0 पुलिस विभाग की रीढ होता है। उसे राज्य पुलिस के समस्त नियमों/मैनुअल्स/विनियमों को जानना चाहिये। राज्य अपने निजी पुलिस नियमों/मैनुअल/विनियमों के अनुसार इस प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते है।

1. उत्तराखण्ड पुलिस रेगुलेशन
2. गार्डस एवं स्कोर्ट रूल्स नियम संख्या :– 7 से 10, 12, 14, 15, 17से 19, 21, 22, 24, 32, 37, 62, 76, 106, 153, 163, 185, 194, 196, 197
3. उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली–संपूर्ण
4. उ0प्र0 पुलिस अधिनस्त श्रेणी अधिकारी एवं कर्मचारी (दंड एवं अपील) नियमावली– 1991
5. रैंक और बैच
6. वर्दी पहनने के नियम (ड्रेस रेगुलेशन के अनुसार)
7. साज–सज्जा गोला बारूद, वेतन तथा भत्ते यात्रा संबंधी सामान्य नियम।
8. सेवानिवृत्ति–अधिवर्षता, स्वैच्छिक अनिवार्य, शारीरिक अक्षमता के समय मिलने वाली सुविधायें
9. परिवाद
10. पदक एवं अलंकरण के प्रकार।
11. आवासीय सुविधायें (पदवार)
12. चिकित्सीय सुविधा, अवकाश, नियम, अनुमन्य विभिन्न प्रकार के अवकाश।
13. सेवानिवृत होने पर अनुमन्य विभिन्न लाभ तथा राजकीय कर्मचारी कल्याण योजनायें।
14. अ– सेवाकाल में कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ ब– असाधारण पेंशन के नियम
15. सेवा अभिलेख –चरित्र पंजिका, सेवापुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावली।
16. पत्राचार शाखा व उसके अभिलेख, हिन्दी अभिलेखागार के अभिलेख एवं उसकी समय सीमा।
17. आंकिक शाखा के कार्य एवं उसके अभिलेख (वेतन पत्र, जी0पी0एफ0 बीमा से संबंधित)
18. सुध सुविधा की विशेष व्यवस्थायें –राज्य सुख सुविधा फण्ड, कल्याण निधि, छात्रवृत्ति, साइकिल, मोटर साईकिल एवं भवन निर्माण के लिये अग्रिम धन प्राप्त करने के नियम।
19. थाना प्रबंध
20. पुलिस जवानों के परिवार कल्याण कार्यक्रम
21. भोजनालय व्यवस्था।

उप निरीक्षक ना0पु0 सीधी भर्ती आधारभूत प्रशिक्षण
बाह्य कक्ष विषयवार, कालांश एवं अंकों का निर्धारण

क्र0सं0	*विवरण*	*कालांश*	*अंक*
1	शारीरिक प्रशिक्षण	150	100
2	ड्रिल एवं पदादि प्रशिक्षण	120	100
3	पुलिस प्रशिक्षण	70	50
4	शस्त्र प्रशिक्षण / हैण्डलिंग	120	100
5	फायरिंग (अलग से 04 दिवस)	0	50
6	फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस, मैप रीडिंग	80	80
7	यू0ए0सी0 (जूडो / कराटे)	50	30
8	योगासन	30	30
9	बम्ब एवं विस्फोटकों का ज्ञान	30	30
10	ड्राइविंग (एम0टी0)	40	30
11	तैराकी	60	50
12	आपदा राहत एवं बचाव प्रशि0	50	50
13	खेलकूद / जिम	101	—
14	रख रखाव	74	—
15	**कैप्सूल कोर्सेस हेतु** **(मात्र सायंकाल के बाह्य कक्ष में)**	**200**	—
योग		**1175**	

1– शारीरिक प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम			
क्र0 सं0	विवरण	कालांश	अंक
शारीरिक प्रशिक्षण		**150**	**100**
शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण (पी0ई0)			**50**
1	03 कि0मी0 की दौड		10
2	लम्बी कूद		10
3	दौड 100 मीटर	**70**	10
4	दौड 400 मीटर		10
5	सिट–अप		05
6	गोला फेंक		05
शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0)			**50**
1	पी0टी0 एक्सरसाइज		10
2	कमाण्ड लीडरशिप		10
3	सामने लुढक	**80**	05
4	पीछे लुढक		05
5	बीम (पुरूष)/रस्सीकूद (महिला)		10
6	रस्सा		10
7	वन मिनट ड्रिल		.....

2– ड्रिल/पदाति प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम			
क्र0 सं0	*विवरण*	*कालांश*	*अंक*
पदादि प्रशिक्षण		**120**	**100**
1	टर्न आउट	–	10
2	स्कावड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशीप (शस्त्र सहित)	60	30
3	व्यक्तिगत योग्यता	–	10
4	शस्त्र ड्रिल/रायफल एक्सरसाइज	30	20
5	रैतिक ड्रिल, सम्मान गार्द	05	05
6	गार्द माउटिंग	05	05
7	केन/सोर्ड ड्रिल	10	10
8	हर्ष फायर एवं शोक कवायद	05	05
9	ई0ओ0डी0	05	05
योग		**120**	**100**

3– पुलिस प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम			
क्र0 सं0	*विवरण*	*कालांश*	*अंक*
पुलिस प्रशिक्षण		**70**	**50**
1	दंगा/बलवा नियन्त्रण ड्रिल	25	10
2	अश्रु गैस /अश्रु गैस वाहन	10	10
3	पम्पएक्शन गन/फैडरल रॉयट गैस गन/एण्टी रॉयट गैस गन	10	10
4	यातायात नियंत्रण ड्रिल	10	05
5	सिटी पैट्रोल यूनिट ड्रिल	05	05
6	अग्निशमन एवं बचाव ड्रिल	10	10
योग		**70**	**50**

4– शस्त्र प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम			
क्र0 सं0	*विवरण*	*कालांश*	*अंक*
शस्त्र प्रशिक्षण		**120**	**100**
1	.303 रायफल की सामान्य जानकारी	15	05
2	7.62एम0एम0 एस0एल0आर0	15	15
3	9एम0एम0 कार्बाइन	15	15
4	एके–47 / एम0के0एम0 रायफल	15	10
5	9एम0एम0 पिस्टल / ग्लोक पिस्टल	15	20
6	.38 '' रिवाल्वर	10	05
7	.303'' एलएमजी / इन्सास एलएमजी	15	10
8	5.56 इन्सास रायफल	10	10
9	36 एच0ई0 ग्रिनेड	05	05
10	पी0एम0एफ0 एवं वी0एल0पी0	05	05
योग		**120**	**100**

5– शस्त्र फायरिंग

पाठ्यक्रम			
क्र0 सं0	*विवरण*	*दिवस*	*अंक*
शस्त्र फायरिंग			**50**
1	.303 रायफल (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन,फायर		05
2	इन्सास रायफल (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन,मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)		05
3	7.62 एम0एम0 एसएलआर (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन,मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)		05
4	9एमएम कार्बाइन		05
5	एके– 47 (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन,मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	**04 दिवस**	05
6	9एमएम पिस्टल/ग्लौक पिस्टल फायर		10
7	.38′ रिवाल्वर फायर		05
8	पी0एम0एफ0, वी0एल0पी0		05
9	डमी ग्रिनेड थ्रो		05
योग			**50**

नोटः– शस्त्र प्रशिक्षण के दौरान अवकाश की अवधि में शस्त्र फायरिगं का अभ्यास कराया जायेगा।

6– फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस और मैपरीडिंग प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम			
क्र0 सं0	*विवरण*	*कालांश*	*अंक*
	फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस	**80**	**80**
1	फील्ड क्राफ्ट के टैक्टिकल शब्दों का ज्ञान/परिभाषायें	02	02
2	केमोफलेज एवं कंसीलमेंट	02	02
3	भूमि के प्रकार एवं भूमि का वर्णन	02	03
4	आड़ो के प्रकार	02	03
5	देखभाल के तरीकें	02	03
6	दूरी निर्धारित करने/अनुमान लगाने के तरीके	02	03
7	चीजें कैसे दिखाई पड़ती है।	02	03
8	फील्ड संकेत	02	05
9	सैक्शन संरचना	02	03
10	विभिन्न टारगेटो की पहचान व बयान	02	03
11	सैण्ड मोडल पर ब्रीफिंग या निर्देश	03	05
12	कैम्प स्थापित करना	03	03
13	घात एवं प्रतिघात	02	05
14	काम्बिंग अभियान	03	05
15	आड़ एवं फायर	02	04
16	निगरानी	02	03
17	नक्सलवादियों द्वारा अपनायी गयी टैक्टिस की जानकारी एवं उसके प्रति उपाय करना	05	05
18	कार्डन एवं खोज निकालना/ढूढना (अभ्यास)	10	05
19	रोड ब्लाक एवं वाहनों व व्यक्तियों को चैक करना (व्यवहारिक अभ्यास)	05	05
20	कमरा/मकान में घुसना/हस्तक्षेप (अभ्यास)	10	05
21	मैप रीडिंग /कम्पास एवं जीपीएस के प्रयोग सहित नेवीगेशन	15	05
	योग	**80**	**80**

नोट– **रूट मार्च का प्रशिक्षण फील्ड क्राफ्ट प्रशिक्षण अवधि में पडने वाले राजपत्रित अवकाश या रविवार दिवसों में कराये जायेंगे।**

7– यू0ए0सी0,जूडो कराटे/योगासन एवं बम्ब डिस्पोजल, विस्फोटक का ज्ञान/ड्राइविंग/तैराकी/ आपदा राहत

क्र0 सं0	*विवरण*	*कालांश*	*अंक*
	अन्य विषय		
1	यू0ए0सी0/जूडो कराटे	50	30
2	योगासन	30	30
3	बम्ब डिस्पोजल/विस्फोटक का ज्ञान	30	30
4	ड्राइविंग (एम0टी0)	40	30
5	तैराकी	60	50
6	आपदा राहत एवं बचाव प्रशि0	50	50
7	**बाह्य कक्ष समय पर कैप्सूल कोर्सेज हेतु**	**200**	**–**
8	खेलकूद/जिम	101	–
9	रख– रखाव दिवस	74	–
	योग	**635**	**220**